सत्यमेव जयते

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु योजनाओं का सार–संग्रह

योजनाओं का सार–संग्रह

2018

Swavlamban

Hkkjr ljdkj
lkekftd U;k; ,oa vf/kdkfjrk ea=ky;
fn0;kxtu l'kfDrdj.k foHkkx
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कांपलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
www.disabilityaffairs.gov.in

fo"k; lph

Øe l[;k	'kh"kd	i"B l[;k
1	foHkkx dh iLrkouk] fotu fe'ku rFkk fogxe voykdu	1
2	fn0;kxtu vf/kdkj vf/kfu;e] 2016	3
3	foHkkx d v/khu lkfof/kd fudk;] lLFkku rFkk lxBu	4
(I)	lkfof/kd fudk;	4
	(i) भारतीय पुनर्वास परिशद	4
	(ii) मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त	4
	(iii) ऑटिज्म, प्रमस्तिश्क घात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राश्ट्रीय न्यास	4
(II)	jk"Vh; lLFkku@dUn	5
(III)	dUnh; lkotfud {k= d m|e ¼lhih,lb½	6
	(क) राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	6
	(ख) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	6
4	foHkkx dh ;ktuk,	7
	(i) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	7
	(ii) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	9
	(iii) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)	15
	(iv) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)	24

	(v) अन्य योजनाएं क. छात्रवृत्ति योजनाएं ख. सुगम्य भारत अभियान ग. जागरूकता सृजन और प्रचार योजना घ. दिव्यांगजन राष्ट्रीय कोश ङ. "ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता" की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना च. दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना छ. इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर, नई दिल्ली ज. चालू नई पहल एवं स्कीमें	29
5	विभाग के अधीन संगठनों की योजनाएं	67
6	दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार	75
7	विभाग की टेलीफोन डायरेक्टरी	81

1
अध्याय

प्रस्तावना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को विकलांगता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देखने हेतु नीतिगत मामलों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु और स्टेकहोल्डरों, संगठनों, राज्य सरकारो और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयो के बीच और अधिक समन्वय करने हेतु एक नोडल विभाग के तौर पर कार्य करने हेतु 12.05.2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से बनाया गया था। दिनांक 14.05.2016 की अधिसूचना के अनुसार विभाग का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नाम से पुनः नामकरण किया गया है।

foHkkx dk fotu rFkk fe'ku

fotu % एक ऐसा समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें उत्पादनात्मक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु दिव्यांगजनों को उन्नति और विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो।

fe'ku % दिव्यांगजनों के सशक्तिरण और विकास हेतु अधिनियम/नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अपने दिव्यांगजन नामक लक्षित समूह को सशक्त बनाना।

fn0;kxtuk dk l'kfDrdj.k %

- षारीरिक पुनर्वास : शीघ्र पहचान और हस्ताक्षेप, काउंसलिंग और चिकित्सा पुनवार्सन। दिव्यांगजनों की तकनौलौजिकल प्रगति हेतु अनुसंधान और विकास। यंत्रों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के तहत सुगम्यता बढाना।
- षैक्षणिक सशक्तिकरण
- कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक विकास।
- सामाजिक सशक्तिकरण।
- पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों का विकास।
- समर्थन एवं जागरूकता पैदा करना।

fn0;kxrk dh ifjHkk"kk %

''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) 'दिव्यांगजन' का अर्थ लंबी अवधी से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदना से बाधित व्यक्ति से है जो समाज में समान रूप से अन्य लोगों के साथ उसकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधाएं एवं रूकावटें उत्पन्न करती हैं (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड (ग) के साथ–साथ उपखंड(ध) का अवलोकन करें।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार ''बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विनिर्दिश्ट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है जहां विनिर्दिश्ट दिव्यांगता परिमाण के विशय में परिभाशित की गई है और दिव्यांगता वाले एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करती है जिसकी विर्निदिश्ट दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार परिमाण के विशय में परिभाशित की गई है (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड (द) का अवलोकन करें।

i|ufo|yk|du

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड विकलांग व्यक्ति हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं)। विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या में 1.50 करोड पुरूश हैं और 1.18 करोड महिलायें हैं। इनमें से 0.82 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और 1.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है।

दिव्यांगजनों के लिये राश्ट्रीय नीति (2006) यह मानती है कि दिव्यांगजन देश के लिए मूल्यावान मानव संसाधन हैं और ऐसा वातावरण सृजित करने को कहती है जिसमें उन्हें समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण सहभागिता उपलब्ध हो। राश्ट्रीय नीति इस तथ्य को मानती है कि यदि उनको समान अवसरों और पुनवार्सन उपायों तक प्रभावी पहुंच उपलब्ध हो तो वे एक गुणवता भरा जीवन जी सकते हैं।

2
अध्याय

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को 28.12.2016 को अधिसूचित किया गया था।
- केंद्र सरकार ने दिनांक 19.04.2017 से उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिए दिनांक 19.04.2017 के कानूनी आदेश 1215 द्वारा एक अधिसूचना जारी की।
- अधिनियम के तहत केंद्रीय नियमावली 15.06.2017 को अधिसूचित की गई है।
- राज्यों के लिए मॉडल ड्राफ्ट नियमवली तैयार की गई है और 13.06.2017 को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अग्रेशित की गई है जिसमें 18.10.2017 से तक या उससे पूर्व अधिनियम की धारा 101 के तहत नियमवली अधिसूचित करने के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है।
- तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, सिक्किम और गुजरात सरकारें मसौदा नियमावली तैयार कर चुकी हैं। हमने 24.10.2017 के पत्र के माध्यम से उनके द्वारा की गई प्रगति की स्थिति व्यक्त करने के लिए राज्यों से पहले ही अनुरोध किया है।
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और आरपीडब्ल्यूडी नियमवली, 2017 की प्रति सभी केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को भेज दी गयी है। आगे 23.06.2017 को सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित क्रियान्वयन के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई करें।
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, विभिन्न निर्दिष्ट दिव्यांगों के आकलन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- विभाग ने दिव्यांगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के लिए एक अन्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उक्त विशेषज्ञ समिति के तहत पांच उप–समितियां भी गठित की गईं थी। सभी उप–समितियों के विचार–विमर्श को पूरा कर लिया गया है। दो उप–समितियों (दृश्य हानि और सुनवाई हानि) की रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है और अन्य तीन उप–समितियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नीचे दिए गए लिंक पर अधिनियम 2016 से संबंधित जानकारी दी गई है।
www.disabilityaffairs.gov.in/contents/Acts&Rules/RPwD Act 2016

3 अध्याय

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन

विभाग की गतिविधियों का कार्यान्वयन सरल बनाने के विशय में तीन सांविधिक निकाय हैं, इसकी सीधे निगरानी के तहत कार्यारत दो केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और आठ राश्ट्रीय संस्थान हैं।

I. lkfof/kd fudk;

¼i½ Hkkjrh; iquokZl ifj"kn

भारतीय पुनर्वास परिशद, जिसे भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था, पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसकी मॉनीटरिंग करती है; पुनर्वास एवं विशेश शिक्षा में अनुसंधान का संवर्धन करती है और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षण करती है।

भारतीय पुनर्वास परिशद पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण और पेशेवर उपकरण मुहैया कराती है और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का अनुरक्षण करती है।

¼ii½ eq[; fn0;kaxtu vk;qDr

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगजन के कल्याण तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाये गये कानूनों, नियमावली आदि को लागू न करने और दिव्यांगजन के अधिकारों को मना करने से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करता है।

¼iii½ vkWfVTe] izefLr"d vk?kkr] ekufld eanrk vkSj cgq&fodykaxrkvksa ls xzLr 0;fDr;ksa d dY;k.kFkZ jk"Vªh; U;kl

(i) राश्ट्रीय न्यास की आटिज्म, प्रमस्तिश्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राश्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वर्श 2000 में स्थापना की गई थी। यह स्वैच्छिक संगठनों, दिव्यांग व्यक्तियों की एसोसिएशनों और उनके अभिभावकों की एसोसिएशन के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में, जहां कही आवश्यक हो, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु कानूनी संरक्षक नियुक्त करने हेतु 3 सदस्यीय स्थानीय स्तररीय समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। राश्ट्रीय न्यास 6 वर्श की आयु तक के बच्चों के लिये प्रारंभिक हस्तक्षेप से लेकर गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त व्यस्कों हेतु आवासीय केन्द्रों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के समूह का संचालन करता है।

(ii) राष्ट्रीय न्यास को बजट सहायता : स्कीम वर्श 2015–16 में प्रारंभ की गई थी। 12 वीं पंचवर्शीय योजना की समाप्ति के बाद आगे मई, 2017 में स्कीम 3 वर्श की अवधि अर्थात 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए एसएफसी द्वारा अनुमोदित की गई।

II. jk"Vh; lLFkku@dUn

इस मंत्रालय के अधीन दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में आठ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए स्वायत निकाय हैं। ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में कार्यरत हैं। उनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

Ø- l	jk"Vh; lLFkku	iLFkkiu dk o"k	{k=h; dUn@{k=h; pIVj l] ;fn dkbl gk	jk"Vh; lLFkku d v/khu lefdr {k=h; dUn] ;fn dkbl gk
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय षारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	1960	एक क्षेत्रीय केन्द्र (सिकन्दराबाद)	दो (लखनऊ और श्रीनगर)
2.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	1975	कोई नहीं	दो (गुवाहटी एवं राजनंदगांव (छत्तीसगढ)
3.	राष्ट्रीय गतिविशयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता	1978	तीन क्षेत्रीय केन्द्र (देहरादून, आइजोल एवं अरूणाचल प्रदेश)	एक (पटना)
4.	राष्ट्रीय दृश्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	1979	एक क्षेत्रीय केन्द्र (चेन्नई), दो क्षेत्रीय चेप्टर (कोलकाता एवं सिकन्दराबाद)	एक {सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)}
5.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई।	1983	चार क्षेत्रीय केन्द्र (कोलकाता, सिकन्दराबाद, नोएडा और भुवनेश्वर)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
6.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद	1984	तीन क्षेत्रीय केन्द्र (नोएडा, मुंबई और कोलकाता)	दो (नेल्लोर और देवनागेर)
7.	राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सषक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	2005	कोई नहीं	दो (कोझीकोड और नागपुर)
8.	भारतीय संकेत भाशा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)	20216	कोई नहीं	कोई नहीं

III. dUnh; lkoltfud {k= d mn;e

¼i½ jk"Vh; fodykx foÙk ,o fodkl fuxe ¼,u,p,QMhlh½

राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना 24 जनवरी, 1997 को दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास कार्यकलापों और स्व–रोजगार के संवर्धन हेतु की गई थी। यह विकलांग व्यक्तियों को स्व–रोजगार उद्यमों और व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विकलांगता से ग्रस्त स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की उनके उत्पादों और वस्तुओं के विपणन में सहायता भी करता है।

¼ii½ Hkkjrh; —f=e vix fuek.k fuxe ¼,fyEdk½

एलिम्को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई विभाग के अधीन एक (गैर–लाभ) मिनी रत्न कंपनी है। निगम बडे स्तर पर अति किफायती आईएसआई चिह्नित विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा एलिम्को सारे देश में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनका आत्मसम्मान बहाल करने के लिये अस्थि बाधिता, श्रवण बाधिता, दृश्टि बाधिता और विलंबित बौद्धिक विकास की मांग को करने के लिये इन सहायक उपकरणों का वितरण करता रहा है।

4
अध्याय

विभाग की योजनायें

I. nhun;ky fodykx iquokZl ;kstuk ¼MhMhvkj,l½

mnns';

- दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण का सृजन करना ।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना ।
- 01 अप्रैल, 2018 से कार्यान्वित की जाने वाली योजना निम्नानुसार संशोधित की गई है ।

1. संशोधित डीडीआर योजना के तहत मॉडल परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार कम कर दी गई है ।

1. प्रि स्कूल एवं प्रारम्भिक हस्तक्षेप और प्रशिक्षण ।
2. दिव्यांगजनों: –
   - क. मानसिक मंदता
   - ख बधिर एवं मूक
   - ग नेत्रहीनों के लिए विशेष विद्यालय।
3. प्रमस्तिष्कघात पीड़ित बच्चे
4. कुष्ठ उपचारित व्यक्ति का पुनर्वास
5. मानसिक रोग पीड़ित उपचरित एवं नियन्त्रित व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम
6. गृह आधारित पुनर्वास एवं गृह प्रबंधन
7. समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (सीबीआर)
8. निम्न दृष्टि केन्द्र
9. मानव संसाधन विकास

2. अब से निम्नलिखित माडल परियोजनाओं को सपोर्ट नहीं किया जाएगाः–

de l0	ifj;kstuk dk uke	dkj.k
1	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	कौशल विकास के लिए स्वतंत्र योजना का शुभारम्भ किया गया ।
2	आश्रययुक्त कार्यशालाएं	
3	सर्वेक्षण, पहचान और जागरूकता संवेदीकरण	जन जागरूकता और प्रचार के लिए स्वतंत्र योजना का शुभारम्भ किया गया ।
4	संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/ग्रामीण शिविर	
5	कम्प्यूटर/विशेषीकृत साफ्टवेयर के लिए अनुदान	विगत 3 वर्षों में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।
6	भवन निर्माण	
7	कानूनी परामर्श सहित, कानूनी सहायता एवं विश्लेषण सहित कानूनी साक्षरता और कानूनों का मूल्यांकन	जन जागरूकता और प्रचार के लिए स्वतंत्र योजना का शुभारम्भ किया गया ।
8	जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र	एसआईआरपीडीए के तहत वित्तपोषण होना

3. वर्तमान में संस्थान/परियोजनाओं को (पैरा (1) और (2))में दर्शायी गई परियोजनाओं को छोड़कर) मंत्रालय द्वारा स्पोर्ट किया जा रहा है फिर भी उनकी उपलब्धियॉं संतोषजनक होने पर स्पोर्ट जारी रहेगा ।

4 योजना के लागत मानदंडों में 2.5 गुणा तक अभिवृद्वि की गई है ।

5 उन परियोजनाओं में, जहां प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) सीमा निश्चित की गई थी, अनुदान की गणना की पद्वति का पैरामीटर आधारित से पीबीसी आधारित में परिवर्तन कर दिया गया हे। उन परियोजनागं में, जहां प्रति लाभार्थी लागत उपलब्ध नहीं है, लागत मानदंडों को 2.5 से गुणा करते हुए लागत मानदंडों की गणना की मौजूदा पद्वति जारी रहेगी ।

6. इस संशोधित योजना के तहत पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (गैर सरकारी संगठनों), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना के अनुमोदन के बाद निर्धारित किए गए लागत मानदंडों पर आधारित की गई गणना की राशि के 90 प्रतिशत तक के लिए हकदार होंगी। यदि परियोजना विशेष क्षेत्रों में स्थित है तो संशोधित लागत मानदंडों पर आधारित की गई गणना की राशि 100 प्रतिशत अनुमन्य होगी ।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैः–

1. 8 उत्तर–पूर्वी राज्य
2. हिमालयन क्षेत्र के राज्य (जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश)
3. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार) और

4. अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगते जिले ।

7. अनुदान–सहायता में, यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी कमी नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिए अनुदान–सहायता में धीरे–धीरे कमी करने की पहले वाली पद्वति समाप्त कर दी गई है।

8. लाभार्थियों की संख्याः अनुदान–सहायता की गणना निरीक्षण की तारीख से पहले के 30 दिनों में कम से कम 15 दिनों में संस्थान में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या पर की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसे लाभार्थियों की संख्या को निर्दिष्ट किया जाना है।

9. यदि आधारभूत संरचना उपलब्ध है तो लाभार्थियों की संख्या की वृद्वि पर कोई रोक नहीं है ।

10. विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों के बीच बजट आवंटन की नोशनली पद्वति विभिन्न दिव्यांगताओं के (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में जोड़ी गई दिव्यांगताओं सहित) मध्य बजट आबंटन की नोशनलली पद्वति का स्थान लेगी ।

11. संस्थान को मंत्रालय के पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान सहायता के लिए ऑनलाईन आवेदन करना है और पूरा प्रस्ताव जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करना है । निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट को ऑनलाईन जमा करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन और भारत सरकार को अग्रेषित करेगा। यदि राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन 60 दिनों में प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता है, तो भारत सरकार योजना के तहत अनुदान–सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों की निरीक्षण अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकती है ।

II. lgk;d ;=kks vkSj midj.kksa dh [kjhn@fQfVax gsrq fodykax O;fDr;ksa dks lgk;rk dh ;kstuk ¼,fMi½

योजना का मुख्य उद्‌देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगताओं को कम करके और उनकी आर्थिक सक्षमता में वृद्धि करके उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनवार्सन के संवर्धन हेतु सहायता अपेक्षित दिव्यांगजनों की टिकाऊ, परिश्कृत और वैज्ञानिक ढंग से निर्मित, आधुनिक, यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करना है। दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र उनकी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता में सुधार करने और विकलांगता की मात्रा और दूसरी विकलांगता होने के रोकने के लिये प्रदान किये जाते है। योजना के अंतर्गत आपूर्तिकृत यंत्र और उपकरण विधिवत प्रमाणित होने चाहिये। स्कीम के तहत वितरण हेतु कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा खरीद किए जाने वाले व्यक्तिगत पार्टो सहित बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए सहायक यंत्रों एवं सहायक डिवाइसों की गुणवत्ता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सरकारी प्रमाणन एजेंसियों क माध्यम से सुनिश्चित की जानी है।

योजना का कार्यान्वयन विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विभाग की ओर से योजना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र है, जिनके द्वारा निम्नलिखित शर्तो का पूरा करना आवश्यक है :–

(i) समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां और अलग से पंजीकृत उनकी शाखायें, यदि कोई हो तो,।

(ii) पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्ट।

(iii) जिला क्लेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला रेडक्रास समितियां और अन्य स्वायत्त निकाय।

(iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राश्ट्रीय/शीर्श संस्थान, कंपोजिट रिजनल सेंटर, रिजनल सैंटर, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, राश्ट्रीय न्यास और एलिमको।

(v) राश्ट्रीय/राज्य विकलांग विकास निगम और निजी क्षेत्र की धारा 25 की कंपनियां।

(vi) स्थानीय निकाय–जिला परिशद, नगर पालिकायें, जिला स्वायत्त विकास परिशदें और पंचायतें आदि।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा यथासंस्तुत अलग संस्था के तौर पर पंजीकृत अस्पताल।

(viii) नेहरू युवक केन्द्र।

(ix) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य संगठन।

vunku gsrq Lohdk;Z dk;Zdyki@?kVd

कार्यान्वयन एजेसिंयों को योजना के उद्देश्यों के अनुरूप मानक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद, निर्माण तथा वितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना में यंत्रों तथा उपकरणों को फिट करने से पूर्व, आवश्यक चिकित्सा/सर्जिकल सुधार तथा हस्तक्षेप भी शामिल होगा।

;ktuk ds vUrxZr fn0;kaxtuksa ds fy, foÙkh; lgk;rk gsrq foHkkx }kjk vf/klfpr vk/kqfud ;a=ksa rFkk lgk;d midj.kksa dh fn0;kaxrk okj lwph%

¼i½ nf"V ckf/krk

(i) दृश्टि बाधितों हेतु संकेतक मूल्य, विशिश्टताएं, और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए 51 सहायक उपकरणों की सूची; (ii) सांकेतिक मूल्य और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए दृश्टि बाधित विकलांगों हेतु श्रेणीवार किटस अर्थात–1: कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, किट–2 कक्षा 6 से 8 तक में प्राथमिक स्कूल से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, किट–3: कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले वरिश्ठ माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिये, किट–4: कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, जिसके दो उप भाग अर्थात किट 4 (क) दृश्टिहीन छात्रों के लिये और किट–4 (ख) कम दृश्टि के छात्रों के लिये हैं,

किट–5: कालेज के छात्रों के लिये है जिसके 2 उप–भाग हैं अर्थात किट–5: (क) दृश्टिहीन छात्रों के लिए और किट–5: (ख) कम दृश्टि के छात्रों के लिये हैं और व्यस्कों के लिये किट–6: एडीएल किट इसमें दृश्टि बाधितों हेतु सामान्य कम दृश्टि उपकरणों की सूची और अधिकतम (हाई एंड) और अन्य सामान्य उपकरणों की सूची भी दी गई है।

¼ii½ LekV! du

स्मार्ट केन एक इलैक्ट्रानिक ट्रेवल उपकरण है जो बाधाओं और सिर की ऊंचाई का पता लगा सकता है। स्मार्ट केन के स्थानिक जागरूकता उपकरण जैसे अन्य लाभ भी हैं चूंकि यह उपस्थिति और दूरी का पता लगा सकता है।

¼iii½ d"Bjkx iHkkfor

कुश्ठ प्रभावितों हेतु उपकरणों की सूची अर्थात (i) कॉमन सहायक दैनिक रहन–सहन किट (एडीएल) एलिमको द्वारा खरीद की जाएगी और वितरित की जाएगी और (ii) राश्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शारीरिक विकलांग संस्थान, राश्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान और सहभागी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा वितरण किये जाने हेतु आवश्यकता अनुसार 34 वैयक्तिक वैकल्पिक उपकरणों की सूची।

¼iv½ ckf)d vkj fodklkRed fn0;kxrk,!

बौद्धिक तथा विकासात्मक विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए (क) मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिये 4 किट–किट 1(i): आयु समूह 0–3 वर्श: प्रारंभिक हस्तक्षेप समूह और किट 1(ii): आयु समूह 0–3 वर्श में बहु–विकलांगों हेतु टीएलएम किट, किट–2: आयु समूह 3–6 वर्श (प्राथमिक पूर्व समूह) 1(iii) किट – 3 : आयु समूह 7–11 वर्श (प्राथमिक समूह) और (iv): किट – 4 : आयु समूह 12–15 और 16–18 वर्श (माध्यमिक और व्यावसायिक पूर्व)। (ख) बहु–विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिये 3 टीएलएम किट–अर्थात किट–(i) आयु समूह 3–6 वर्श (ii) किट–2: आयु समूह 6–10 वर्श और (iii) किट–3 आयु समूह 10 वर्श और उससे ऊपर और (x) एलिमको माडल सैंसरी किट: बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु मल्टी सैंसरी समावेशी शिक्षा विकास किट।

¼v½ Jo.k ckf/kr

सहायक यंत्र जैसे बाडी लेवल हियरिंग ऐडस, एनालोग/नान प्रोग्रामेबल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दा ईयर (आईटीई), इन दा केनाल (आईटीसी), कंपलीटली इन दी केनाल (सीआईसी), डिजिटल/प्रोग्रामेबल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दी ईयर (आईटीई), इन दी केनाल (आईटीसी), कंपलीटली इन दी केनाल (सीआईसी), पर्सनल एफ एम हियरिंग एडस, ब्लुटूथ नेक लूप फार हियरिंग ऐडस, वाईब्रेटरी अलार्म, बेबी क्रांइग एलर्टिंग सिग्नलर, एंपलिफाइड टेलीफोन, टेलीफोन एंपलिफायर, आडियो इंडक्शन लूप, इनफ्रेरड सिस्टम, हियरिंग एडस विद बोन वाइब्रेटर, एजुकेशनल किट (2 से 5 वर्श के और प्रि–स्कूल गोइंग चिल्ड्रन), कंटेनिंग लेंगुएज (वोकाबलरी) बुक, आर्टिकुलेशन ड्रिल बुक, स्टोरी बुक, अन्य मैटिरियल (फेमिली हैंड पप्पटस, 5 पजलस,

मोनटशरी इक्विपमैंटस/टायस, सेप सार्टर क्लाक, वन सैट आफ नायस मेकरस, ब्लाक शार्टर बाक्सिस, सैंट आफ वर्ब कार्डस और 5 साफट टायस)।

¼vi½ vfLFk ckf/krk

सहायक उपकरण : जैसे लोअर एक्सट्रीमली प्रोस्थिसिस, हाई एंड अपर एक्ट्रीमली प्रोस्थिसिस, लोअर एक्ट्रीमली आर्थोसिस, स्पाईनल आर्थोसिस और मोटराइजड व्हील चेयर–चिन और हैंडकंट्रोल के साथ क्वाड्रिपलिजिक व्हील चेयर, जाय स्टिक के साथ व्हील चेयर और मोटरीकृत व्हील चेयर (हैंडल ड्राइवन)।

¼vii½ dkdfy;j bEIykaV

संषोधित एडिप योजना में प्रतिवर्श 500 बच्चों को कोकलियर इंप्लांट प्रदान करने का प्रावधान है जो 6.00 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभाथियों की आय सीमा अन्य सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए बताए अनुसार वहीं होगी। अली यावर जंग राश्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई कोकलियर इंप्लांट के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संसकरणों) में विज्ञापन जारी करने के द्वारा और अपनी वेबसाईटः www.ayinihh.nic.in. पर भी आवेदन आमंत्रित करता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर द्वारा खरीदे जाते है और नामांकित अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी/राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में की जाती है। कोकलियर इंप्लांट सर्जरी कराने के लिए मंत्रालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है।

¼viii½ eksVjhd`r VªkbZlkbfdy ,oa Oghyps;j

शरीर के तीन/चार अंगों अथवा शरीर के आधे भाग के गंभीर रूप से बाधित होने वाले गंभीर विकलांगों और क्वड्रिप्लिजिक मस्कुलर डाइस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सैरेबल पालसी, हैमिपेलिजिया से पीडित अथवा ऐसी हालातों से पीडितों के लिए सब्सिडी की मात्रा 25,000/– रूपये तक सीमित होगी। यह 16 वर्श और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्श में एक बार प्रदान की जायेगी। तथापि 16 वर्श और उससे अधिक आयु के मानसिक मंदता ग्रस्त गंभीर विकलांग व्यक्ति मोटरीकृत ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के पात्र नहीं होंगे, चूंकि इससे उनको गंभीर दुर्घटना/शारीरिक नुकसान का खतरा हो सकता है।

¼ix½ fn0;kax tu vf/kdkj vf/kfu;e] 2016 esa 'kkfey dh xbZ ubZ fn0;kaxrkvksa ds fy, dkbZ mi;Dr lgk;d ;a= ,oa midj.k fu/kkZfjr fd, tk ldrs gSA

;kstuk ds varxZr miyC/k lgk;rk dh ek=k

वे यंत्र/उपकरण जिनकी लागत 10,000/– रूपये से अधिक नहीं होती है एकल विकलांगता की योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं। तथापि, IX कक्षा से आगे के विकलांग छात्रों हेतु सीमा 12,000/– रूपये है। बहुविकलांगता के मामले में एक से अधिक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने पर यह सीमा पृथक रूप से अकेली वस्तु हेतु लागू होगी :–

d|y vk;	lgk;rk dh ek=k
(i) 15,000/– रूपये तक मासिक	(i) यंत्र/उपकरण की पूर्ण लागत
(ii) 15,001/– रूपये से 20,000/– रूपये तक मासिक	(ii) यंत्र/उपकरण की 50:लागत

प्रत्येक विकलांगता हेतु दिव्यांग छात्रों के लिए वित्तीय सहायता 10,000/– रूपये होगी और 20,000/– रूपये की लागत वाले उपकरणों के संबंध में वित्तीय सहायता की सीमा 12,000/– रूपये होगी। 20,000/– रूपये से ऊपर की लागत के उपकरणों हेतु, लागत का 50: सरकार वहन करेगी। शेश राशि का या तो राज्य सरकारों अथवा गैर–सरकारी संगठनों अथवा अन्य किसी एजेंसी अथवा संबंधित लाभार्थी द्वारा अंशदान किया जायेगा। यह मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के अनुमोदन से योजना के अंतर्गत बजट के 20% तक सीमित होगा।

दिव्यांगजनों को केन्द्र में आने के दिनों के लिये अलग से यात्रा व्यय देय होगा तथा एक एस्कोर्ट को 250 रूपये प्रति व्यक्ति तक बस अथवा रेल किराया देय होगा।

इसके अतिरिक्त केवल उन रोगियों को जिनकी कुल आय 15,000/–रूपये प्रतिमाह तक है 15 दिन की अधिकतम अवधि के लिए 100 रूपये प्रतिदिन की दर से आवास तथा भोजन खर्च अनुमत्य होगा और यही दर एटैंडैट/एस्कोर्ट के लिये अनुमत्य होगी।

d`l: vkosnu dj`%

संगठन नये मामलों में निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रचलित मामलों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन राश्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

एनजीओ दर्पण पोर्टल में नीति आयोग के पास पंजीकरण और ई–अनुदान पोर्टल पर एनजीओ द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। इसके अलावा, गैर–सरकारी संगठन/वीओ के न्यासियों/सदस्यों के पैन और आधार नंबर विवरण अनिवार्य हैं।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना (विधिवत अनुप्रमाणित) संलग्न की जानी चाहिये :–

क. विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 51/52 के तहत पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ख. समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा उनकी शाखाओं, यदि कोई हो, पृथक रूप से अथवा चैरीटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति।

ग. संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम तथा विवरण।

घ. संगठन की नियमों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की एक प्रति।

ड. पूर्व के वर्शो के प्रमाणित लेखा–परीक्षित लेखों तथा वार्शिक रिपोर्ट की एक प्रति (संगठन की वित्तीय स्थिति सुह दर्शाते हुये)।

च. योजना के अंतर्गत पहले से प्राप्त कर रही कार्यान्वियन एजेसिंयों को अनुदान सहायता से पूर्व वर्शो में लाभार्थियों की दी गयी सहायता की अनुबंध–IV में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूची भी एक्सल प्रोग्राम की सीडी में तथा 2 वर्श तक कवर किये गये लाभार्थियों का सार अधिकतम 2 पृश्ठों में हार्डकॉपी मे भेजना चाहिये,

छ. अनुशंसा प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुदान सहायता के उपयोग के बारे में लाभार्थियों की नमूना जांच करेगा। कम से कम 15 प्रतिशत (10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता के मामले में) और 10 प्रतिशत (10 लाख रुपये से अधिक अनुदान सहायता के मामले में) लाभार्थियों के संबंध में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

ज. जी.एफ.आर. के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र।

झ. कार्यान्वयन एजेंसियां उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों का एक वर्ष का निःशुल्क रखरखाव करेंगी।

ञ. संगठन यदि इसके कर्मचारी नियमित आधार पर 20 से अधिक व्यक्ति हैं तो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करेगा।

ट. कार्यान्वयन एजेंसी को एक वेबसाईट भी बनाए रखना चाहिए और प्राप्त, उपयोग अनुदान के ब्यौरे और लाभार्थियों की सूची के साथ–साथ फोटो एवं राशन कार्ड नंबर/मतदाता पहचान संख्या/आधार कार्ड नंबर, जैसा भी मामला हो, अपलोड करना चाहिए।

ठ. आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में, मंत्रालय ने 3 मार्च 2017 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति को आधार संख्या धारण का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

vunku@lgk;rk etjh dh ifØ;k

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

↓

कार्यान्वयन एजेसियां

↓

लाभार्थी

पात्र लाभार्थियों को शिविर गतिविधियों/मुख्यालय गतिविधियों/विशेश शिविरों/एडिप–एस.एस.ए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा सहायक यंत्रों तथा उपकरण वितरित किए जाते हैं।

III. fn0;kaxtu vf/kfu;e] 1995 ds dk;kZUo;u gsrq ;kstuk ¼fliMk½

;kstuk dk mn~ns'; rFkk lkjka'k

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय 1999 से योजना के तहत निधियां जारी कर रहा है। सचिव, दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता मे स्थायी वित्त समिति ने 04.01.2016 को आयोजित इसकी बैठक में योजना पर विचार किया गया तथा 28.01.2016 को योजना तैयार कर अधिसूचित की गयी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित होने और इसके अधीन नियमावली तैयार करने के परिणामस्वरूप स्कीम को जारी रखने के लिए प्रस्ताव के साथ स्कीम में कुछ संषोधन प्रस्तावित किए गए हैं। सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की 25.09.2017 को आयोजित बैठक में कुछ अनुशंसाओं के साथ–साथ स्कीम को 31.03.2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव लाया गया।

स्कीम के तहत गतिविधियां/परियोजनाएं निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित एवं निश्पादित की जाती हैं और स्कीम में उल्लेखित विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :–

(i) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र;

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायतः निकाय (केन्द्रीय/राज्य यूनिवर्सिटियों सहित);

(iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राश्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डी डी आर सी/आर सी/आउटरीच केन्द्रय अथवा

(iv) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वायत्त संगठन;

(v) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संगठन/संस्थान ;

(vi) केन्द्रीय/राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद निकाय एवं संघ।

(vii) राश्ट्रीय कार्य योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा पैनलबद्ध किए गए गैर–सरकारी संगठन।

;kstuk ds rgr doj dh xbZ xfrfof/k;k¡@?kVd %&

I. दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, षैक्षणिक तथा प्रषिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि षामिल हैं। इसमें रैंपस, रेल्स, लिफ्टस, षौचालयों का व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए अनुकूलन, ब्रैल साइनेजिज तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फलोरिंग, कर्ब कटस, तथा व्हील चेअर प्रयोगकत्तओं की सुगम पहुँच हेत, पेवमैंट पर ढलान बनाना, दृश्टिहीन अथवा अल्प दृश्टि वाले व्यक्तियों हेतु जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्ण करना दृश्टिहीनों

अथवा अल्प दृश्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मो पर उत्कीर्ण करना तथा दिव्यांगता के उचित चिन्हों की डिवाइसिंग करना।

II. भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी तथा प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वैबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वैबसाइट "http:// darpg.nic.in" पर उपलब्ध है।

III. दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

IV. निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना विभाग ने सार्वभौमिक सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राश्ट्रीय व्यापी अग्रणी अभियान के रूप में ''सुगम्य भारत अभियान'' की अवधारणा प्रारंभ की जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना पूर्ण सुगम्य बनाना षामिल करेगा।

V. समेकित पुनर्वास केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों/आऊटरीच केन्द्रों तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करना तथा आवश्यकतानुसार नये समेकित विकास केन्द्र और जिला विकास केन्द्र स्थापित करना।

VI. दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

VII. विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा समुदाय हेतु जागरूकता अभियान और सुग्राहीकरण कार्यक्रम सृजित करना।

VIII. दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहायता प्रदान करना

IX. पहुंचनीय पुस्तकालयों का, भौतिक और डिजिटल दोनों, और अन्य नालेज सैंटरों का संवर्धन करना।

X. दिव्यांग बच्चों हेतु प्रि–स्कूल से संबंधित कार्यकलापों, अभिभावकों की काउंसिलिंग, देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 0–5 वर्श की आयु के बच्चों हेतु शीघ्र चिह्नहन कैंपो से संबंधित कार्यकलापो और प्रारंभिक सहायता से संबंधित कार्यकलापों की सहायता करना।

XI. श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये और आवश्यक कौशल प्राप्त करने हेतु युवा बच्चों की सहायता करने हेतु जिला मुख्यालयों/अन्य और जिला चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और सहायता केन्द्र स्थापित करना

XII. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचात्मक सुविधाओं हेतु विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों के कार्यालयों हेतु अनुदान प्रदान करना।

XIII. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु उन स्थानों पर, जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय निकायों की अपनी भूमि होती है, विशेश मनोरंजन केन्द्र स्थापित करना।

XIV. राश्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना।

XV. दिव्यांग व्यक्तियों की यूनिवर्सल आई डी हेतु पहचान करना/सर्वेक्षण करना।

XVI. दिव्यांगता संबंद्ध प्रौद्योगिकी, उत्पाद एवं मुद्दों पर अनुसंधान।

XVII. केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदधारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

XVIII. दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोकताओं को प्रोत्साहन।

XIX. अधिनियम में उल्लिखित अन्य उन कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता जिनके लिये विभाग की वर्तमान योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता नहीं मुहैया कराई जा रही है कवर नहीं किये जा रहे हैं।

dk'ky fodkl d: ?kVd %

रोजगार कौशल विकसित करने और सार्थक रोजगार पाने के लिए भारत में दिव्यांगजनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगजन श्रम बाजार में लगातार कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं (1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला पीडब्ल्यूडी)। यद्यपि, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों का है, दिव्यांगजन अधिनियम,1995 के कार्यान्वयन के बावजूद, उनकी सार्थक रोजगार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। सामान्य गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होने के कारण कुल जनसंख्या में, दिव्यांगजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अनुपात में है। ग्रामीण दिव्यांगजन कौशल और बाजारों से काफी हद तक अछूते हैं ।

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सुधार करना, दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है, परन्तु व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त लाभ भी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ख़राब रोजगार परिणामों से जुड़े व्यक्तियों और समाज के लिए यह महंगा पड़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार दिव्यांगजनों को अर्थव्यवस्था के बाहर रखना, जीडीपी का लगभग 5: से 7: छोड़ने के बराबर है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त, श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो देश में कुशल श्रम बल की कमी को हल करने में मदद करेगी , साथ ही साथ कल्याण निर्भरता से जुड़े राजकोषीय दबावों को कम करेगी।

fn0;kxtuk d fy, or!eku çf'k{k.k ifj–'; g% &

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों तथा इसके संबद्ध संगठन यथा, राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय न्यास इत्यादि द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय 20 से अधिक दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों (वीआरसीएच), 10,000 से अधिक आईटीआई और 1000 से ज्यादा रोजगार केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर रहा है।
- तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध सामुदायिक कॉलेजों, आईआईटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठनः सीएसआर पहल के तहत, कई संगठनों ने अनुकरणीय कार्य किया है।
- दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने काफी योगदान दिया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- शहरी विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
- अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/ आजीविका कार्यक्रम।

fn0;kxtuk d dk'ky çf'k{k.k d fy, jk"Vh; dk;Z ;ktuk %

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के निम्नलिखित घटक हैः –

fuEufyf[kr ?kVdk d lkFk ,d çkstsDV e,fuVfjx ;wfuV ¼ih,e;w½ dh LFkkiuk dh tk,xh %

- प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन इकाई
- सामग्री जनरेशन इकाई
- प्रशिक्षण निगरानी और प्रमाणन इकाई
- नियोक्ता कनेक्ट इकाई
- ई–लर्निंग मॉड्यूल, प्रशिक्षण की निगरानी, ई–प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए/ नौकरी पोर्टल के निर्माण और रखरखाव के लिए आईटी यूनिट।

व्यावसायिक/ कौशल प्रशिक्षण एनजीओ, निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/ सरकारी क्षेत्र के वीआरसी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, देश भर में फैले उच्च रोजगार अनुपात के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं के एक समूह द्वारा प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षण भागीदारों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा परिणाम आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहक्रियाशीलता सहयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय और निजी क्षेत्र के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया जा रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), सेक्टर स्किल काउंसिल और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए समरूप पाठ्यक्रम और प्रमाणन तंत्र तैयार करने में मदद करेगा।

विभाग इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को विभिन्न निजी क्षेत्र संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से रोज़गार प्रदान करने के साथ–साथ सीएसआर सहयोग प्राप्त करने के लिए भी संयोजन हेतु मदद करेगा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के इन समूहों को आधारिक संरचना और संसाधनों का सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए यह विभाग राज्य सरकारों के साथ समन्वय करेगा।

कौशल प्रशिक्षण 'प्रशिक्षण भागीदारों' के 200 से अधिक समूहों के नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाएगा, अतः प्रत्येक समूह के लिए पहले वर्ष में लगभग 500 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। प्रमुख गैर सरकारी संगठन कौशल प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गैर–सरकारी संगठनों को सशक्त कर उनकी सहायता ले सकता है परन्तु ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर पीएमयू द्वारा निगरानी रखी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क और उनकी क्षमता प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहेगी।

míŝ'; vkŝj dojŝt%

क) दिशानिर्देश 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेगा।

ख) महिला उम्मीदवारों के लिए 30% आरक्षण% महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

çf'k{kqvksa dh ik=rk@ik=rk dh 'krsZ%

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो दिव्यांगता को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1992 की धारा 2(i) जिसे, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और/या किसी भी प्रासंगिक कानून जो लागू हो, उसके तहत लोगों के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट के धारा 2 (जे) के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(घ) आवेदक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

dk;kZUo;u ,tsafl;ksa ¼çf'k{k.k çnkrkvksa½ dh ;ksX;rk%

(क) इस योजना को लागू करने वाले संगठनों/संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा, जिन्हें इसके बाद से "प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगाद्य निम्न वर्गों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- i) राज्य सरकारों /संघ शासित प्रदेशों के विभाग, या
- ii) केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या
- iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र, या
- iv) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं।

(ख) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजी–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक यूनिक आईडी प्राप्त होनी चाहिएद्य गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन के समय यूनिक आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

vkonu vkj p;u dh çfØ;k

pj.k & I

क. इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए अग्रणी समाचार पत्रों में और वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करके पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। प्रशिक्षण भागीदारों का चयन एक निरंतर प्रक्रिया होगी।

(क) चयन समिति का गठनः प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने के लिए समिति निम्न प्रकार से गठित होगीः

1)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित संयुक्त सचिव ,	अध्यक्ष
2)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडब्लूडी के प्रभारी) या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक (आईएफडी),	सदस्य
3)	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी कम से कम निदेशक /उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
4)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	सदस्य
5)	डीईपीडब्लूडी में संबंधित निदेशक /उप सचिव	सदस्य–संयोजक
6)	निम्न में से प्रत्येक संगठन का एक प्रतिनिधि– i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम निगम (एनएसडीसी), ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
7)	पीडब्ल्यूडी के लिए सेक्टर स्किल कौंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
8)	दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ के तीन प्रतिनिधि (विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व) इन सदस्यों को चयन समिति की हर बैठक के लिए विभाग द्वारा सह–चयन किया जा सकता है।	सदस्य

(ख) समिति जब कभी आवश्यक समझे, एक विशेषज्ञ को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(ग) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी ।

(घ) सेक्टर स्किल काउंसिल के गठन और इसकी पूर्ण संचालन तक समिति विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत

पाठ्यक्रमों को तय/ अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे और अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।

(च) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर टीए/ डीए के हकदार होंगे।

(छ) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

pj.k II

ख. जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित कौशल शिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया विशिष्ट परियोजना आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

çf'k{k.k ikB~îØe%

क) एनएसडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है ।

ख) जैसे ही सेक्टर स्किल काउंसिल पूरी तरह प्रारंभ हो जायेगा, यह उद्योग और अन्य क्षेत्र के कौशल परिषदों के साथ बातचीत के माध्यम से, दिव्यांगजनों के लिए कार्य भूमिकाएं और व्यावसायिक मानक तय करेगा, जो विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक आधार बन जाएगा ।

ग) जब तक क्षेत्र कौशल परिषद पूरी तरह से चालू होगा, उपर्युक्त संदर्भित समिति, प्रशिक्षण भागीदारों को स्वीकृति देते हुए, दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर भी निर्णय लेगी।

घ) दिव्यांगजनों से संबंधित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) और राष्ट्रीय संस्थान (एनआई), हैं, विभिन्न नौकरियों के लिए समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाने में समिति के साथ सहयोग करेंगे।

fufèkdj.k ekunaM %

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित रूप में, कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष के प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरे वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

çf'k{k.k dh xq.koÙkk fuxjkuh%

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

vU; 'krsZ%

क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को, अनुदान सहायता के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगा और प्राप्त अनुदान सहायता, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

ग) विशेष ट्रेडों/ नौकरी भूमिकाओं के लिए लागत मानदंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित, की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा।

घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के क्रियान्वयन लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

vU; dkS'ky fodkl ;kstukvksa ds lkFk vfHklj.k%

कौशल विकास के घटकों का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया जाएगा। विभाग, कौशल विकास पर प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ईआरएनईटी इंडिया द्वारा स्थापित केंद्रों का उपयोग करेगा। एसआईपीडीए के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होते ही दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कौशल विकास का घटक बंद कर दिया जाएगा।

leh{kk vkSj fuxjkuh%

दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए एमआईएस आधारित निगरानी तंत्र रखा जाएगा।

;kstuk dk vf/kdkj {ks=%

दिशानिर्देशों का अधिकार क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में प्रशिक्षुओं के रोजगार के पहलुओं को शामिल नहीं किया गया

है तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कहीं भी रोजगार पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करता है।

xyr lpuk dk çLrrhdj.k %

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण सहयोगी ने कोई गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इसे झूठ पाया गया है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा और उस पर व्यय की गई राशि पर 15 चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ednek%

इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर किसी भी मुक़दमे पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

fn'kkfun'kk d çkoèkkuk e ifjoru %

इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को किसी भी समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

fn'kkfun'kk dh leh{kk

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब आवश्यक हो, अपने विवेक पर, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

¼IV½ ftyk fodykx iuokl dUn ¼MhMhvkjlh½

MhMhvkjlh dk mÌ';

संरचना के सृजन तथा जिला स्तर पर जागरूकता सृजन, पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास पेशेवरों को सलाह देने हेतु क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग विकलांगजनों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु देश के सभी गैर–सेवित जिलों में जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता करता है। राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की योजना नौवी पंचवर्शीय योजना में प्रारंभ की गयी थी तथा बारहवी पंचवर्शीय योजना के दौरान भी चल रही है। कुल 310 जिलों की पहचान की गयी है तथा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन दिया गया है। जिनमें से 248 जिलों में अब तक जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय, संरचनात्मक, प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे संबंधित जिलों में विकलांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर सकें। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

- शिविर आयोजित करने के माध्यम से विकलांगजनों का पता लगाना तथा सर्वेक्षण करनाय
- विकलांगताओं की रोकथाम, शीघ्र पहचान और सहायता हेतु प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता सृजित करना;
- प्रारंभिक हस्तक्षेपय
- सहायक उपकरणों की जरूरत का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमेंट, सहायक उपकरणों का फोलोअप/मरम्मतय
- रोगहर सेवाएं अर्थात फिजियोथरेपी, व्यवसाय चिकित्सा, वाक चिकित्सा आदिय
- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, बस पास और अन्य छूट तथा सुविधाएंय
- सरकारी तथा चेरीटेबल संस्थानों के माध्यम से सर्जिकल करेक्शन हेतु रेफरल और व्यवस्थाय
- एनएचएफडीसी की राज्य द्वारा चैनेलाइजिंग एजेसिंयों सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के लिए ऋणों का प्रबंधनय
- दिव्यांगों, उनके माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों की काउंसिंलिंग,
- बाधामुक्त वातावरण को बढावा देना,
- दिव्यांगजनों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार को बढाने के लिए सहायक तथा अनुपूरक सेवाओं का निम्नलिखित के माध्यम से प्रावधान :–
  - o शिक्षकों, समुदाय तथा परिवारों को उन्मुखी प्रशिक्षण देना;
  - o दिव्यांगजनों को शीघ्र प्रेरित करने तथा शीघ्र प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
  - o स्थानीय संसाधनों के आलोक में दिव्यांगजनों हेतु उपयुक्त व्यवसायों की पहचान करना, और व्यवसायिक प्रशिक्षण डिजाइन करना और प्रदान करना तथा उपयुक्त नौकरियों की पहचान करना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके; और
  - o वर्तमान शैक्षणिक, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संस्थानों हेतु रेफरल सेवाएं प्रदान करना।

योजना केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का ''विकलांगजन अधिनियम, 1995 की कार्यान्वयन योजना'' के तहत प्रारंभ में 3 वर्श के लिए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादर एंड नागर हवेली के मामले में 5 वर्श) धन प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत टेपरिंग आधार पर धन प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के प्रभावी कार्यान्वयन में सकारात्मक भूमिका अदा करें। स्थानीय प्रशासन की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अनेक मानदेयों तथा अन्य अपेक्षाओं को उपयुक्त ढंग से अनुपूर्ति करें।

राज्य सरकारें जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जमीनी वास्तविकताओं के मद्देनजर योजना में व्यापक प्रावधान के अन्दर संसाधन करने हेतु जिला प्रबंधन टीम के अध्यक्ष के तौर पर जिला कलैक्टरों को उनकी क्षमता में अधिकृत कर सकती हैं। राज्य सरकारें जिला कलैक्टरों को कठिनाइयों को कम करने हेतु, जिससे केन्द्रीय निधि से धन जारी करने में देरी होती है, अपनी ओर स्थानीय निधि से अंतरिम अग्रिम जारी करने हेतु भी अधिकृत कर सकती हैं।

vunku gr Lohdk; dk;kdyki@?kVd

Lohdk; vunku lgk;rk

प्रत्येक जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र को विकलांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुदान सहायता दी जाती है। अनुदान में आवर्ती तथा गैर–आवर्ती घटक षामिल होते हैं जिससे जिला प्रशासन/कार्यान्वयन एजेंसियाँ जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र चलाने के लिए किराया मुक्त आवास का प्रबंध करती हैं। जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र योजना के अंतर्गत एक जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के संबंध में आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय के विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

(लाख रूपये में)

in	lkekU; jkT; ifro"k	fo'k"k jkT;k d fy; ¼iokÙkj] tEe vkj d'ehj vkj l?k jkT; {k=½&20% dh of)
कुल मानदेय	8.10	9.72
कार्यालय व्यय/आकस्मिकतायें	2.10	2.10
उपकरण (केवल प्रथम वर्श के लिये)	7.00	7.00
प्रथम वर्श के लिये कुल	17.20	18.82
दूसरे वर्श के लिये कुल	10.20	11.82
तीसरे वर्श के लिये कुल	10.20	11.82
कुल व्यय	37.60	42.46

पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव तथा जम्मू एवं कश्मीर में 20 प्रतिशत अतिरिक्त खर्च (अर्थात 42.46 लाख रूपयें तक) अनुमत्य है। उसके बाद दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत वित्त पोशण किया जाता है। जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र को टेपरिंग प्रावधान के अनुसार निर्धारित लागत

मानदंडों के अनुसार बजटीय राशि के 90 प्रतिशत तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। यह केवल षहरी क्षेत्र में जारी की जाती है। अनुदान की टेपरिंग 7 वर्श के बाद की जाती है प्रत्येक हर दूसरे वर्श 5% की दर से लागू की जाती है। 75% से आगे कोई टेपरिंग लागू नहीं की जाती है।

प्रत्येक पद हेतु निर्धारित जन शक्ति तथा अनुमत्य मानदेय नीचे दिया गया है :–

Ø-l-	in	ifrekg vf/kdre ekun; ¼: i;s eå½	;kX;rk
1	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/मनोवैज्ञानिक	8200	क्लिनिकल मनोविज्ञान में एमफिल/मनोविज्ञान में एम.ए, विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में 2 वर्श के अनुभव को वरीयता
2	वरिश्ठ फिजियोथिरेपिस्ट/ आकोपेशनल थिरेपिस्ट	8200	5 वर्श के अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर
3	षारीरिक विकलांग वरिश्ठ प्रोसथेटिस्ट/आर्थोटिस्ट	8200	किसी राश्ट्रीय संस्थान से वरीयता के साथ प्रोसथेटिक तथा आर्थोटिक में 5 वर्श की डिग्री अथवा 6 वर्श के अनुभव के साथ प्रोसथेटिक तथा आर्थोटिक में डिप्लोमा
4	प्रोसथिटिस्ट आर्थोटिस्ट तथा तकनीशियन	5800	2/3 वर्श के अनुभव के साथ आईटीआई प्रशिक्षित
5	वरिश्ठ वाक थिरेपिस्ट ऑडियोलोजिस्ट	8200	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर/बीएससी (वाक एवं श्रवण)
6	श्रवण सहायक/कनिश्ठ वाक थिरेपिस्ट	5800	श्रवण यंत्र मरम्मत/ईयर माऊल्ड मेकिंग के ज्ञान के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा
7	गतिशीलता अनुदेशक	5800	गतिशीलता में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ मेट्रिकुलेशन
8	बहुद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता	5800	सीबीआर/एमआरडब्ल्यु कोर्स में डिप्लोमा के साथ 10़2 पास अथवा 2 वर्श के अनुभव के साथ प्रारंभिक बचपन विशेश शिक्षा में एक वर्शीय डिप्लोमा कोर्स
9	लेखाकार–सह–लिपिक सह भंडारपाल	5800	2 वर्श के अनुभव के साथ बी.कॉम/एसएएस
10	परिचर–सह–चपरासी सह संदेशवाहक	3800	8वीं कक्षा उत्तीर्ण

uksV %&

i) पूर्वात्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के पुनर्वास पेशेवरों को देश के षेश भागों में स्थित जिला विकलांग पुनर्वास के लिये निर्धारित मानदेय से 20 प्रतिशत अधिक मानदेय दिया जाएगा ।

ii) ये जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र गैरसेवित जिलों में स्थापित करने हेतु प्रस्तावित हैं जहां प्रारंभिक तौर पर निर्धारित अर्हता के साथ स्टाफ मिलना मुष्किल हो सकता है। इसलिए जब तक अहर्ता प्राप्त पेषेवर उपलब्ध नहीं होते, हैं जिला प्रबंधन टीम निम्नतर अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते है तथा अनुपातिक आधार पर उनका मानदेय कम कर सकती है। तथापि, तकनीकी पदों के विरूद्ध गैर–तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी रूप से सुदृढ व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में अधिक भुगतान किया जा सकता है।

dSls vkosnu djsa

विकलांगजन अधिनियम कार्यान्वयन योजना (सिपडा) के अंतर्गत चिहनित तथा अनुमोदित जिलों में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु प्रथम वर्श के अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है :–

(i) जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) के गठन करने संबंधी आदेष की प्रति, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिलाधीष/जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी तथा इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला तथा कल्याण विभाग के कर्मचारीगण तथा अन्य कोई विषेशज्ञ, जिसका डीएम/डीसी सहयोग लेना चाहते है, षामिल होगें।

(ii) जिला प्रबंधन टीम द्वारा चिहनित/अनुषंसित कार्यान्वयन एजेंसी वरीयता के तौर पर जिला रेडक्रास सोसायटी अथवा राज्य की स्वायत्त निकाय हो सकता है अथवा उनकी अनुपस्थिति में दिव्यांगजनों के पुनर्वास में संलग्न प्रतिश्ठित गैर–सरकारी संगठन हो सकता है।

(iii) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के नाम से संयुक्त बैंक खाता खोलने के लिए बैंक का अधिकृतकरण पत्र (इसमें ंएक प्रतिनिधि जिला प्रबंधन टीम से तथा दूसरा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति)।

(iv) समितियां अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम/कंपनीज अधिनियम (धारा 25) के तहत पंजीकृत प्रमाणप़त्र की प्रति।

(v) विकलांगजन अधिनियम, 1995 के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

(vi) कार्यान्वयन एजेंसी की पिछले 2 वर्श की वार्शिक रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षित लेखों (चाटर्ड अकाउंटेंट से विधिवत् स्याही हस्ताक्षर तथा चार्टर्ड लेखाकार की मोहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित) की प्रतियां।

(vii) निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति।

(viii) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र को पूर्व में जारी किये गये अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र।

ftyk fodykax iquokZl dsUnz Loh—fr dh izfØ;k

निर्धारित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर उन पर कार्यवाही की जाती है और उन्हें एकीकृत वित्त प्रभाग से वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनकी सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है तथा बिल तैयार करके उसे जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के संयुक्त खाते में स्वीकृत राशि के हस्तांतरण के लिये वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

(v) vU; ;kstuk,a

¼d½- Nk=o`fÙk@jkstxkj ;kstuk,a

¼d½ fn0;kax Nk=ksa ds fy, fç&eSfVªd Nk=o`fÙk vkSj iksLV&eSfVªd Nk=o`fÙk

;kstuk ds mn~ns'; vkSj laf{kfIr%

- योजना के उद्देष्य प्रि–मैट्रिक स्तर (कक्षा प और ग) तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर (कक्षा गए गप और स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा स्तर तक) में अध्ययनरत विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट/रीडर भत्ता आदि षामिल हैं।
- प्रत्येक वर्श प्रि–मैट्रिक स्तर के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां 46,000 तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर हेतु 16,650 हैं।
- इन दो छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रषासननों की अनुषंसा के उपरांत मेरीट आधार पर किया जाता है।
- ये योजनाएं एक वेब–पोर्टल "नेशनल ई–स्कोलरशिप पोर्टल" (ूणैबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद) के माध्यम से ऑन–लाइन कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि छात्र ऑन–लाइन आवेदन कर सकें और लाभार्थियों को लाभ सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पहुंच सके।

Nk=o`fÙk;ksa dk ewY;

fç&eSfVªd Nk=o`fÙk%

प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्य में कोर्स की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित षामिल हैं:

(i) Nk=ofÙk ,oa vU; vuqnku(

en	fnol Ldkyj	Nk=kokl esa jgus okys Nk=
एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु देय छात्रवृत्ति (रुपए प्रतिमासिक) की दर	350	600
पुस्तक तथा तदर्थ अनुदान (रुपए वार्शिक)	1,000	1,000

(ii) HkÙks%

HkÙks	jkf'k ¼#i, eas½
दृष्टिहीन छात्रों हेतु मासिक रीडर भत्ता	160
मासिक परिवहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर होस्टल में नहीं रहते हैं तो	160
गंभीर रूप से विकलांग (अर्थात 80% अथवा उच्च विकलांगताओं के साथ) दिवस स्कालर/अत्यधिक अल्प विकलांगता वाले छात्रों के लिए मासिक एस्कोर्ट भत्ता	160
शैक्षणिक संस्था के होस्टल में रहने वाले गंभीर रूप से सहायता अपेक्षित अस्थि विकलांग छात्र को सहायता देने के इच्छुक होस्टल के किसी कर्मचारी को अनुमेय मासिक सहायक भत्ता	160
मानसिक मंद और मानसिक रूग्ण छात्रों को मासिक कोचिंग भत्ता	240

ikLV&eSfVªd Nk=ofÙk%

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्य में कोर्स की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) रखरखाव भत्ता;

(ii) कोर्स की पूर्ण अवधि के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता, और

(iii) अनिवार्य गैर–प्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति

(iv) पुस्तक भत्ता

विवरण निम्नानुसार हैं :–

- j[kj[kko HkÙkk

leg	j[kj[kko HkÙkk dh nj ¼çfrekg #i, e½	
	gkLVyj	fnol Ldkyj
leg I किसी भी क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स। चिकित्सा (एलोपैथिक, चिकित्सा की भारतीय और अन्य मान्यता प्राप्त प्रद्धतियां), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लिकेशनस।	1200	550
leg II फार्मेसी (बी फार्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांचिस, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रेवल/पर्यटन/होस्पिटलिटी प्रबंधन, आंतरिक सजावट, पोषण एवं आहार, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि), जिनके लिए प्रवेश अर्हता कम से कम वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) है, जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक कोर्स।	820	530
leg III समूह I तथा II अर्थात बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि के अंतर्गत कवर न किये गये स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य कोर्स।	700	500
leg IV समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर के गैर–डिग्री कोर्स जिनके लिए प्रवेश अर्हता हाई स्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई कोर्स, पोलिटेक्निकस में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि हैं।	650	400

- Nk=k dh fodykxrk d vk/kkj ij vfrfjDr HkÙk

इसके अलावा इस योजना में अध्ययन दौरा प्रभार, पुस्तक भत्ता, पुस्तक बैंक, टंकण और मुद्रण प्रभार, रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता और विशेष भत्ता आदि का भी प्रावधान है।

- vfuok;l xlj&okilul; 'kYd dh çfr ifrl

स्कॉलरों को, नामांकन/पंजीकरण, टयूशन, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, मैगजीन, चिकित्सा परीक्षा तथा ऐसे अन्य शुल्क जो स्कॉलर द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्यतः देय होगी, अदा की जायेगी। तथापि, कॉशन मनी, सुरक्षा जमाराशि जैसी वापसनीय जमाराशि को बाहर रखा जाएगा।

vkonu vkj p;u dh çfØ;k

i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के विवरण की घोषणा करेगा तथा अग्रणी समाचारपत्रों तथा वेबसाइटों और अन्य मीडिया आउटफिटस में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र ई–स्कॉलरशिप पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से मांगे जाएंगे।

ii. आवेदकों को अपने आवेदन उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने चाहिए। 50000/– रू. प्रतिवर्श से अधिक की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन फोटो, आयु का प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, माता–पिता की आय का प्रमाणपत्र आदि जैसे समस्त अपेक्षित दस्तावेजों का उक्त छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

iii. वे संस्थान भी, जिनमें अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं, उसी वैबसाइट में अपने आप को पंजीकृत करेंगे और अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों की जांच करेंगे। राज्य द्वारा नामित नोडल अधिकारी सभी आवेदनों को देखेगा और उन पर राज्य सरकार के साथ कार्यवाही करेगा जो लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राषि के वितरण के लिए अंतिम सूची को पीएफएमएस पोर्टल में अग्रेशित करेगी।

iv. राज्य सरकार के संबंधित विभाग की अनुशंसाओं के आधार पर अन्य बातों के साथ–साथ उस राज्य विशेष में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए अंतिम चयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। किसी राज्य को उपलब्ध स्लाटों की संख्या भारत की कुल दिव्यांजन संख्या की तुलना में उस राज्य की दिव्यांगजन संख्या के प्रतिशत के आधार पर निर्णित की जाती है।

v. यदि कोई अभ्यर्थी किसी राज्य का स्थायी निवासी है परंतु वह अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है, तो उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य की सीट के अंतर्गत विचार किया जाएगा। उसके आवेदन पर जिस राज्य का वह स्थायी निवासी है उस राज्य के शिक्षा/कल्याण विभाग की अनुशंसा आवश्यक है।

p;u d fy, efjV ekinM ½ निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

(i) योजना में दिये गये अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करना।

;ii) राज्य शिक्षा विभाग की संस्तुति।

(iii) राज्य में उपलब्ध सीटों की संख्या।

(iv) अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के संबंध में अभ्यर्थी की मेरिट।

(v) अंको की प्रतिषतता बराबर होने (टाई) के मामले में विकलांगता की प्रतिषतता पर विचार किया जायेगा अर्थात विकलांगता की अधिक प्रतिषतता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। उसके बाद भी टाई होने के मामले में आयु पर विचार किया जाएगा अर्थात अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

Nk=ofÙk forj.k dk rjhdk

छात्रवृत्ति की राषि दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा की जाएगी।

¼[k½ fn0;kax Nk=ksa ds fy, Vki dykl ,tqds'ku Nk=ofÙk

;kstuk ds mn~ns'; vkSj lf{kIr%

- इस योजना का उद्देश्य विकलांग छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा तथा मान्यता देना है।

- यह योजना किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर पर अध्ययन करने वाले दिव्यांग छात्रों को कवर करेगी।

- यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्कृश्ट संस्था के रूप में अधिसूचित सभी संस्थाओं में संचालित की जायेगी।

- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट/रीडर भत्ता, आदि षामिल हैं।

- टाप कलास एजुकेशन के लिए 2017–18 के दौरान स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्तियों की सख्या 110 है। छात्रवृत्तियों का 50 प्रतिषत लडकियों के लिए आरक्षित है।

- टाप कलास एजुकेशन के लिए अभिभावकों की आय सीमा 6.00 लाख रुपए वार्शिक है।

- इन तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की अनुषंसा के बाद मेरिट के आधार पर किया जाता है।

foÙkh; lgk;rk dh izek=k

छात्रवृत्ति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

Ø-l-	Nk=ofÙk dk ?kVd	Nk=ofÙk çfr çkIrdrk nj
(i)	संस्थान को देय/भुगतान किए जाने वाले गैर–वापसनीय तथा ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	2.00 लाख रुपए तक वार्शिक (वास्तविक राशि की शर्त पर)
(ii)	रखरखाव भत्ता	छात्रावास में रहने वाले को 3000/– रुपये मासिक दिवस छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिए 1500/– रुपये मासिक
(iii)	विशेष भत्ता (रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, हैल्पर भत्ता आदि जैसे विकलांगताओं के प्रकारों से संबंधित)	2000/– रुपये मासिक
(iv)	पुस्तकें एवं लेखन सामग्री	5,000/–रुपये वार्शिक
(v)	साजो समान के साथ एक कम्प्यूटर खरीद हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति	पूरे कोर्स हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता 30,000/–रुपये
(vi)	चयनित अभ्यर्थी की विशेष विकलांगता से संबंधित आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति	पूरे कोर्स हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता 30,000/–रुपये

vkosnu djus vkSj p;u djus dh çfØ;k

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के ब्यौरों की घोषणा करेगा तथा अग्रणी समाचारपत्रों में तथा वेबसाइट और अन्य मीडिया आउटफिट के माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र इस प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे नेशनल ई–स्कालरशिप पोर्टल, एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम, के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे।

(ii) आवेदकों को अपने आवेदन उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए। फोटो, आयु प्रमाण, विकलांगता प्रमाणपत्र, माता–पिता का आय प्रमाणपत्र आदि जैसे सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिये।

(iii) वह संस्थान, जिसमें वह अध्ययरत होगा, आयु, जन्म–तिथि, विकलांगता प्रमाणपत्र, कोर्स की मान्यता, प्राप्त शुल्क आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों का आवश्यक सत्यापन करने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को पोर्टल के माध्यम से आवेदन अग्रेषित करेगा। राज्य शिक्षा विभाग संबंधित संस्थान की मान्यता सहित सभी आवश्यक सावधानीपूर्वक जांच करेगा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपनी अनुशंसा से आवेदन अग्रेषित करेगा।

(iv) राज्य सरकार के राज्य षिक्षा विभाग की अनुशंसाओं के आधार पर अन्य बातों के साथ–साथ उस राज्य विशेष में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। किसी राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या का निर्णय वर्श 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल दिव्यांगजन आबादी की तुलना में उस राज्य की दिव्यांगजन प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

(v) यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक राज्य का स्थायी निवासी है परंतु वह अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है तो उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य की स्लाटों के अंतर्गत विचार किया जाएगा। उसके आवेदन पर जिस राज्य का वह स्थायी निवासी होगा उस राज्य के शिक्षा विभाग की अनुशंसा आवश्यक है।

p;u ds fy, esfjV ekinaM %

fuEufyf[kr dkjdksa ij fopkj fd;k tk,xk %

(i) योजना में दी गई पात्रता की शर्तों को पूरा करना।

(ii) राज्य शिक्षा विभाग की संस्तुति।

(iii) राज्य में उपलब्ध सीटों की संख्या।

(iv) अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के मद्देनजर अभ्यर्थी की मेरिट

(v) अंको की प्रतिषतता बराबर होने (टाई) के मामले में अभिभावकों की आय की सीमा पर विचार किया जाएगा अर्थात अभिभावकों की कम आय सीमा वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) उसके बाद भी टाई होने के मामले में विकलांगता की प्रतिषतता पर विचार किया जाएगा अर्थात विकलांगता की अधिक प्रतिषतता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

p;u lfefr%

आवेदकों की संख्या अनुमत्य छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक होने के मामले में पात्रता के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए सचिव, दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से चयन समिति गठित की जाएगी।

Nk=o`fÙk forj.k dk rjhdk

छात्रवृत्ति की राषि दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा लाभार्थियों के खातों में पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी।

¼x½ fnO;kax Nk=ksa ds fy, jk"Vªh; leqnzikjh; Nk=o`fÙk

;kstuk ds mís'; ,oa lf{kIr

- दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना स्नातकोत्तर डिग्री तथा पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

- हर वर्ष बीस (20) छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनमें से छह महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
- छात्रवृत्ति की राशि में रखरखाव भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, ट्यूशन शुल्क और हवाई यात्रा आदि की लागत शामिल है।
- माता–पिता आय सीमा 6.00 लाख रुपये वार्शिक है।
- उपर्युक्त के अलावा प्रतिवर्ष दो दिव्यांग छात्रों को ''पारगमन अनुदान'' का भी प्रावधान है। केवल वे दिव्यांग छात्र जिन्होंने किसी विदेशी सरकार/संगठन से स्नातकोत्तर अध्ययन, विदेश में अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, कांफ्रेंस में भाग लेने को छोड़कर) मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त की हैं अथवा अन्य किसी योजना, जिसमें पारगमन की लागत नहीं दी गई होगी, पात्र होंगे। पारगमन अनुदान में एयर इंडिया के माध्यम से इकॉनामी क्लास में गृह नगर से विदेशी संस्थान तक आने–जाने का किराया शामिल है।

U;wure ;ksX;rk %

पीएचडी के लिएः प्रासंगिक स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड।

स्नातकोत्तर डिग्री के लिए : प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड।

आयु : योजना के विज्ञापन के मास के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे : एक ही माता–पिता/संरक्षक के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे।

foÙkh; lgk;rk dh ek=k

Ø- l-	HkÙks dh fdLe	jkf'k
1.	वार्षिक रखरखाव भत्ता	यू.के. हेतु – जीबीपी 9,900/–
		अन्य देशों हेतु – 15,400/– अमरीकी डालर
2.	वार्षिक आकस्मिक भत्ता	यू.के. हेतु – जीबीपी 1,100/–
		अन्य देशों हेतु – 1,500/– अमरीकी डालर
3.	अनुसंगिक यात्रा भत्ता	अन्य देशों हेतु – 20/–अमरीकी डालर
4.	उपकरण भत्ता	1500/–रुपये
5.	ट्यूशन शुल्क, हवाई परागमन लागत, स्थानीय यात्रा, पोल टैक्स, वीजा फीस, चिकित्सा बीमा प्रिमियम	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी

छात्रवृत्ति की अवधि – (क) पीएचडी हेतु – 4 वर्ष (ख) मास्टर डिग्री हेतु – 3 वर्ष

p;u dh izfØ;k

योजना का योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा। अभ्यर्थी योजना की षर्तो के अनुसार अपने पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में, जो विज्ञापन का भाग होगा (रोजगाररत अभ्यर्थी उचित माध्यम द्वारा), दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग को आवेदन करेंगे। विज्ञापन में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी। उसके बाद आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों को विज्ञापन में अधिसूचित किए अनुसार स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति द्वारा छांटे गए अभ्यर्थियों को निजी साक्षात्कार के लिए स्वयं को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। चयन समिति द्वारा व्यैक्तिक अभ्यर्थियों के आंकलन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयन समिति मेरिट का निर्णय करने के लिए अंतिम रुप से चयन प्रक्रिया को पूरा करेगी। दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के टाई होने के मामले में, उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण–पत्र में रिकार्ड की गई संबंधित जन्मतिथि के अनुसार जिसकी आयु अधिक होगी (जन्म तिथि के अनुसार) उसे अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा।

Nk=o`fÙk jkf'k dk forj.k

छात्रवृत्ति राषि का वितरण दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा एक अधिकृत बैंक के माध्यम से किया जाएगा जो छात्रवृत्ति राषि को एसडब्ल्युईएफडी अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक मोड़ का प्रयोग करके चुने गए अभ्यर्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करेगा।

तथापि अध्ययन संस्थान की प्रमाणिकता/मान्यता का सत्यापन करने हेतु विदेषों में संबंधित भारतीय दूतावासों/उच्च आयोगों की रिपोर्टे प्राप्त की जाएगी और छात्र की प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जायेगी।

¼?k½ fn0;kaxtuksa dks fy, u'kuy Qsyksf'ki

योजना के उद्देश्य और संक्षिप्त

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदत्त किसी विश्वविद्यालय में एम.फिल तथा पीएच.डी जैसी डिग्रियों से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिव्यांग छात्रों के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान दिव्यांग छात्रों हेतु नेशनल फैलोशिप की योजना षुरु की गई थी।

- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष 200 फैलोशिपस (जूनियर रिसर्च फेलोज, जेआरएफ) दी जाती हैं। दिव्यांग छात्रों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के मामले में किसी वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई शिक्षावृत्तियों की संख्या अगले शैक्षिक सत्र में अग्रेषित की जाएंगी।

- यदि उम्मीद्वारो की संख्या उपलब्ध फैलोशिपस की संख्या से अधिक हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभ्यर्थियों द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करता है।

Qykf'kil dh iek=k %

(i) जूनियर रिसर्च फैलोशिपस और सीनियर रिसर्च फैलोशिपस हेतु फैलोशिपस की दरें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फैलोशिपस के समकक्ष होंगी। इस समय ये दरें निम्नानुसार से हैं :

1	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान (कला/ललित कला सहित) में फैलोशिप	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000 रुपये मासिक दर पर (जेआरएफ) शेष कार्यकाल के लिए 28,000 रुपये मासिक दर पर (एसआरएफ)
2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ललित कला सहित) हेतु आकस्मिकता (कला/ललित कला सहित)	प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 10,000 रुपये वार्शिक दर पर शेष कार्यकाल हेतु 20,500 रुपये वार्शिक दर पर
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी हेतु आकस्मिकता	प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 12000 रुपये वार्शिक दर पर शेष कार्यकाल हेतु 25000 रुपए वार्शिक दर पर
4	विभागीय सहायता (समस्त विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु मेजबान संस्थान को 3000 रुपये प्रति छात्र वार्शिक दर पर
5	एस्कोर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	शारीरिक और दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2000 रुपये मासिक दर पर

(ii) मकान किराया भत्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पैटर्न पर होगा तथा उन छात्रों को देय होगा जिन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित होस्टल आवास से छात्र द्वारा इनकार किया जाता है तो छात्र मकान किराये भत्ते हेतु अपना दावा छोड़ देगा। चिकित्सा सुविधाएं, प्रसूति अवकाश सहित अवकाश सुविधाओं जैसे अन्य सुविधाएं उनके फैलोशिप प्रोग्राम के मामले में विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिशासित होंगी।

Qykf'ki dk fy;s ik=rk

(i) किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था में एम.फिल/पीएचडी डिग्री में प्रवेश प्राप्त कोई दिव्यांग छात्र।

(ii) दो वर्ष उपरांत यदि फैलोशिप प्रदत्त छात्र के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है तो उसके कार्यकाल को सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ) के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। जेआरएफ और एसआरएफ प्रदायगी की कुल अवधि पांच वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

dkslZ dk uke	vf/kdre vof/k	tsvkj,Q vkSj ,lvkj,Q dh vuqes;rk	
		tsvkj,Q	,lvkj,Q
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पीएच.डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम फिल. पीएचडी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

dSls vkosnu djsa% आवेदन आमंत्रित करने के लिए समाचार–पत्रों और वेबसाइट में विज्ञापन दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ूण्नहबण्ंबण्पद के माध्यम से आवेदन करना होता है। अभ्यर्थियों का चयन विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। अपेक्षित दस्तावेजः विकलांगता प्रमाण–पत्र, आयु का प्रमाण, षैक्षिक योग्यता का प्रमाण और योजना में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

/ku dh Lohd`fr ds fy, izfØ;k% विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर, अपेक्षित राषि केनरा बैंक को, जिसे चुने गए अभ्यर्थियों को षिक्षावृत्ति के वितरण के लिए नामित किया गया है, हस्तांरित की जाती है। चुने गए अभ्यर्थी को केनरा बैंक की अधिकृत षाखाओं में से किसी एक षाखा में अपने संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेने होंगे। केनरा बैंक (सरकारी व्यवसाय शाखा) आवश्यक सत्यापन करने के बाद देय और पात्रता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी करेगा।

¼M-½ fn0;kax Nk=ksa dh fu%'kqYd dksfpax ds fy, iqLrkfor dsUnzh; {ks=d ;kstuk%

संविधान के भाग 4 की धारा 41 ("राज्य नीति के निर्देषक सिद्वान्त'') राज्य को, काम का अधिकार, षिक्षा और बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता, वृद्वावस्था, बीमारी और दिव्यांगता तथा अनावष्यक मामलों में सुनिष्चितता के लिए प्रावधानों को प्रभावी बनाने का अधिकार देती है।

संविधान के भाग 4 की धारा 46, राज्य को समाज के कमजोर वर्ग की षैक्षिक और आर्थिक अभिरूचियों को विषेश देख–रेख में बढावा देने का आदेष देती है। इसी भाग की धारा 38 (2) भी राज्य को न केवल व्यक्तियों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों अथवा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह में आय की असमानता को कमःसे कम करना, स्थिति विषेश की असमानता से छुटकारा दिलाना, सुविधाओं और अवसरों को उपलब्ध कराने के प्रयास करने का आदेष देती है।

वर्तमान में अनुसूचति जातियों (एससीएस) और अन्य पिछडे वर्ग के छा्त्रों के लिए निःषुल्क कोचिंग प्रदान करने की योजना उपलब्ध है। फिर भी, दिव्यांग छात्रों के लिए इस प्रकार की कोई परियोजना चालू नहीं है। दिव्यांगजनों के सामाजिक – आर्थिक विकास के संदर्भ में अन्य बातों के साथ–साथ बारहवीं पंचवर्शीय योजना दस्तावेज में दिव्यांग छात्रों की निःषुल्क कोचिंग योजना के माध्यम से ऐसे लोगों के षैक्षिक विकास पर जोर दिया जाएगा।

mÌs';%

योजना का उददेष्य न्यूनतम 40 प्रतिषत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से लाभ वंचित छात्रों के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में षामिल होने तथा सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के योग्य बनाया जा सके।

dkfpx ds fy, dkslZ%

जिनके लिए कोचिंग दी जाएगी, वे कोर्स, निम्नानुसार होंगेः–

i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे बोर्डों (आरआरबीएस) द्वारा आयोजित समूह "क" और "ख" पदो ंके लिए भर्ती परीक्षाएं ।

ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अपने राज्यों में आयोजित समूह "क" और "ख" पदो ंके लिए भर्ती परीक्षाएं।

iii) बैंकिग कर्मियों के चयन संस्थान (आईबीपीएस), राश्ट्रीयकृत बैंकों सरकारी बीमा कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूएस) के अधीन आयोजित की जाने वाली अधिकारी स्तर के लिए भर्ती परीक्षाएं ।

iv) इनमें प्रवेष के लिए प्रवेष–परीक्षाएं (क) इंजीनियरिंग (अर्थात् आईआईटी–जेईई) (ख) मैडिकल (एआईपीएमटी), (ग) प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठयक्रम (अर्थात सीएटी) और विधि (अर्थात सीएलएटी) और (घ) ऐसा कोई अन्य क्षेत्र जिसका समय–समय पर मंत्रालय द्वारा निर्णय किया जाता है ।

dk;kZUo;u ,tsfl;k¡%

योाजना को निम्नलिखित विख्यात कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगाः–

i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उनके अधीन स्वायत्त निकाय।

ii) विष्वविद्यालय (दोनों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन) सहित मानित विष्वविद्यालय और निजी विष्वविद्यालयं आदि

iii) पंजीकृत निजी संस्थान/गैर–सरकारी संगठन।

dkfpx laLFkkuksa dh iSuyc}rk ds vkosnu ds fy, ik=rk ekun.M

(i) संस्थान एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कम्पनीज अधिनियम, 2013 अथवा राज्य/संघ षासित प्रदेष के अन्य किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत किसी पंजीकृत संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा पैनलबद्वता के लिए राज्यों/संघ षासित प्रदेषों/कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना की तारीख तक संस्थान को कम से कम 03 वर्शों की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

(iii) इस योजना के तहत संस्थान को तुरन्त उस वर्श से पहले जिसमें पैनल तेयार किया जाता है, आवेदन करने के समय 3 वर्शों की अवधि के लिए पूर्णरूपेण कार्यात्मक होना चाहिए और कोर्स में कम से कम दो वर्शों के लिए प्रत्येक वर्श में न्यूनतम 100 का नामांकन होना चाहिए।

(iv) संस्थान में, जिस कोर्स में कोचिंग देने के लिए आवेदन किया गया है, सभी निर्धारित जरूरतों को पूरा करने हेतु उपयुक्त आधारभूत संरचना (बाधामुक्त) का होना अनिवार्य है ।

lLFkkuk dk p;u %

(i) कोचिंग संस्थानों के पैनलबद्वता के प्रस्ताव पर, एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके पिछले निश्पादन – रिकार्ड तथा चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सिफारिष की जाएगी। दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा चयन समिति की सिफारिषों के आधार पर कोचिंग प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा। चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

क.	संयुक्त सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी)	-	अध्यक्ष
ख.	वित्तीय सलाहकार, (डीईपीडब्ल्यूडी) अथवा नामांकित, उप सचिव/निदेषक के पद से कम नहीं	-	सदस्य
ग.	संयुक्त सचिव, उच्चतर षिक्षा विभाग	-	सदस्य
घ.	विभाग द्वारा सुनिष्चित किए जाने वाले प्रासंगिक पृश्ठभूमि के दो प्रतिनिधि	-	सदस्य
ड.	निदेषक/उप सचिव, (डीईपीडब्ल्यूडी)	-	संयोजक

(ii) राज्य/संघ षासित प्रदेष कोर्सों की कोचिंग देने में, ऊपर के पैरा–3 में अभिज्ञात किए गए, सफलता के प्रमाणित ट्रैक–रिकार्ड वाले विख्यात कोचिंग संस्थानों की सूची (10 से अधिक नहीं) प्रस्तुत करेंगे ।

(iii) राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के अतिरिक्त, ऊपर के उप–पैरा (1) में बताए गए अनुसार चयन समिति भी जिन सस्थानों का अच्छा नाम है और निश्पादन रिकार्ड भी अच्छा है, उन कोचिंग संस्थानों की पैनलबद्वता को प्रस्तावित कर सकती है।

(iv) कोचिंग संस्थानों के नामों की सूची प्राप्त होने पर दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा संस्थानों से निवेदन किया जाएगा कि वे योजना की जरूरतों के अनुपालन में अपेक्षित प्रपत्र में विस्तृत प्रस्ताव अपने निश्पादन रिकार्ड सहित जमा करें।

(v) विख्यात संस्थानों की राज्य के एक जिले से अधिक जिलों में षाखाएं होने की स्थिति में अकेले संस्थानों की तुलना में एक से अधिक षाखाओं वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(vi) संबंधित कार्यक्रम विभाग राज्य सरकारों/संघ षासित प्रदेषों और चयन समिति द्वारा अनुषंसित संस्थानों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर पहली नजर में पात्रता मानदण्डों तथा सभी निर्धारित सहायक दस्तावेजों के संलग्न होने की स्थिति से संतुश्ट होने पर प्रारम्भिक जांच करेगा ।

(vii) संस्थान का एक बार चयन हो जाने पर वह, पेषकष किए जाने वाले पाठयक्रमों के संबंध में, पैनलबद्वता के नियमों और षर्तों, षुल्क–संरचना, संवितरण की आवृत्ति, स्लॉटस की संख्या, पाठ्यक्रम की अवधि, उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत करना आदि के संबंध में, दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता करेगा ।

(viii) दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी) के साथ हुए अपने समझौतों के अधीन चयनित कोचिंग संस्थानों को तीन वर्शों के लिए पैनलबद्व किया जाएगा ।

नोटः– योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने की दृश्टि से योजना के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग संस्थान पात्र दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी) अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने के लिए स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करेगा।

/kujkf'k dk iVu%&

(i) योजना की षर्तों और नियमों के तहत तथा संबंधित कोचिंग संस्थान से हुए समझौते के अनुसार दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार चयनित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली कोचिंग के समस्त व्यय के लिए धनराषि देगा ।

(ii) संबंधित कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों को षुल्क की राषि अनुदान सहायता के रूप में सीधे ही जारी की जाएगी ।

(iii) प्रतिवर्श दो समान किष्तों में अनुदान–सहायता संबंधित संस्थानों को निर्मुक्त कर दी जाएगी ।

(iv) संस्थान को प्रथम किष्त उसकी पैनलबद्वता के तुरन्त बाद जारी कर दी जाएगी। फिर भी, संस्थान को अनुदान सहायता की दूसरी किष्त (प्रति–पूर्ति के रूप में) उपयोगिता प्रमाण–पत्र, किए गए व्यय के ब्यौरे, चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित खाते, संचालित किए गए पाठ्क्रमों के ब्यौरे और छात्रों की संख्या, जिनको कोचिंग दी गई, के ब्यौरों के प्रस्तुतीकरण पर निर्मुक्त की जाएगी।

(v) एक वर्श पूरा होने के उपरान्त, आगामी वर्श के लिए धनराषि निर्मुक्त करने से पहले संस्थान के प्रदर्षन का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक वर्श के बाद धनराषि का निर्मुक्त किया जाना पिछले वर्श के दौरान संस्थान के संतोशजनक प्रदर्षन पर निर्भर होगा।

(vi) पैनलबद्व कोचिंग संस्थानों को दूसरे और तीसरे वर्श के लिए देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पिछले वर्श के अनुदान सहित कोचिंग प्राप्त छात्रों की सूची, पिछले वर्श की धनराषि के संबंध में लेखा परीक्षित खाते और पिछले वर्श के दौरान कोचिंग प्राप्त छात्रों के प्रदर्षन की प्राप्ति पर अनुदान सहायता निर्मुक्त होगी ।

(vii) पैनलबद्व संस्थानों को राश्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarship.gov.in) (इस योजना के लिए जब कभी पोर्टल का परिचालन किया जाएगा) पर अपने आपको पंजीकृत करना चाहिए ।

(viii) अभ्यर्थियों (छात्रों/प्रषिक्षुओं) को ऑन तरीके के माध्यम से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा कराने चाहिए । सभी अपेक्षित दस्तावेज जैसे फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, अभिभावक का आय का प्रमाण–पत्र आदि निर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप में भरे हए्ु ऑन लाइन तरीके से अपलोड िकिए जाने अपेक्षित है (फिर भी, राश्ट्रीय छात्रवृत्ति के माध्यम से निःषुल्क कोोचिंग की योजना षुरू होने तक अभ्यर्थी अपनी पसंद के पैनलबद्व संस्थानों को अपने आवेदनों को ऑन लाइन तरीके के माध्यम से जमा करेंगे ।

(ix) पैनलबद्व संस्थानों द्वारा नामित किया गया नोडल अधिकारी आवेदनों को सत्यापित करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा तथा वजीफे और भत्तों के संवितरण के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अंतिम सूची अग्रेशित करेगा।

(x) दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी) द्वारा अभ्यर्थियों को अनुमेय वजीफा और विषेश भत्ते पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी आधार के तहत उनके बैंक खातों में सीधे निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

dkfpax 'kYd dh iek=k

कोचिंग षुल्क की प्रमात्रा का निर्धारण दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग और कोचिंग संस्थान के बीच पैनलबद्वता के समय हुई सहमति के अनुसार होगा।

Ikk=rk ekun.M vkj vH;fFk;k dk p;u%

(i) इस याजेना के अंतर्गत निःषुल्क कोचिंग, निःषक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में षामिल किए गए दिव्यांगजन और ऑटिज्म, प्रमस्तिश्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राश्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत षामिल और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अन्य प्रासंगिक अधिनियम मे षामिल, दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध होगी ।

(ii) कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों का चयन स्वयं संस्थान द्वारा निर्धारित षैक्षणिक मानदंडों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तथापि, संस्थान करार में निर्धारित की जाने वाली षर्तों के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इन मानदंडों में छूट दे सकते हैं ।

(iii) इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होना/होनी चाहिए, जिसके लिए वह कोचिंग ले रहा/रही है ।

(iv) आय की अधिकतम सीमाः इस योजना के अंतर्गत केवल वही दिव्यांग छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्शिक आय 6.00 लाख या कम है ।

(v) इस योजना के अंतर्गत छात्र विषेश द्वारा एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया जा सकता चाहे प्रतियोगितात्मक परीक्षा विषेश में सम्मिलित होने के अवसरों की उसकी पात्रता कितनी भी हो। कोचिंग संस्थान छात्रों से आषय एक षपथ पत्र लेगा कि उन्होंने इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया है ।

(vi) केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत निःषुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाने वाले उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। कोचिंग संस्थान छात्रों से इस आषय का एक षपथ–पत्र लेगा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार की अन्य योजना के अंतर्गत निःषुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाया है ।

(vii) फिर भी, ऊपर के पैरा (5) के प्रावधान के होते हुए भी, जहां परीक्षा दो चरणों अर्थात प्रारम्भिक और मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है, उम्मीदवार परीक्षा के दोनों चरणों के लिए निःषुल्क कोचिंग लेने का पात्र होगा । वे सभी अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए अलग–अलग निःषुल्क कोचिंग लेने के पात्र होंगे । तथापि, यदि उममीदवार का साक्षात्कार के लिए चयन होता है तो साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु अवसरों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

(viii) उपस्थितिः यदि कोई छात्र बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता हे तो दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को सूचित करते हुए, उसको दिया जाने वाला निःषुल्क कोचिंग का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ix) कोचिंग सहायता की अवधिः प्रथम वर्श के पूरा होने पर, यदि छात्र द्वितीय वर्श के लिए जारी रखना चाहता है तो उसे कोाचिंग सहायता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

o thQk

कोचिंग कक्षा में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को प्रतिमाह रूपये 2,500/– (दो हजार पांच सौ मात्र) के मासिक वजीफे का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार बाहरी छात्रों के लिए प्रति छात्र रूपये 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया जाएगा। प्रति छात्र, प्रति माह रूपये 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का रीडर, एस्कोर्ट सहायक आदि के लिए छात्रों को विषेश भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

I kekU; i ko/kku

(i) संस्थान कोचिंग की प्रगति और उम्मीदवारों के चयन के पूरे रिकार्ड का रख–रखाव करेंगे।

(ii) संस्थान को निर्मुक्त की गई अनुदान–सहायता का संस्थान द्वारा अलग खाते में परिचालन किया जाएगा।

(iii) संस्थान, अनुदान सहायता का केवल इस योजना के निर्धारित उद्देष्यों के लिए उपयोग करेगा।

(iv) अनुदेयी संस्थान द्वारा इन षर्तों के उल्लघंन किए जाने की स्थिति में संस्थान, प्राप्त धनराषि, 18% पैनल ब्याज सहित लौटाने और अन्य कार्रवाई, जो भी आवष्यक हो, के लिए जिम्मेदार होगा।

miyfC/k vkj I ;ktu dh Ieh{kk %

(i) पैनलबद्वता के तीसरे वर्श के अन्त में कोचिंग संस्थान की उपलब्धि की समीक्षा की जाएगी । योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दी गई कोचिंग के परिणाम के आधार पर और कोचिंग प्राप्त छात्रों द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं को पास करने, जिनके लिए उसने कोचिंग प्राप्त की है, में सफलता की दर के आधार पर मूल्यांकन होगा ।

(ii) दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के पास पैनलबद्व संस्थानों का समय–समय पर एकाएक निरीक्षण/जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।

(iii) कोचिंग संस्थान की असंतोशप्रद उपलब्धि की स्थिति में दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग के पास किसी भी समय वित्त–पोशण समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

;kstuk ds izkjaHk gksus dh rkjh[k%

योजना 01 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है ।

;kstuk dk vf/kdkj {ks=

इस योजना का अधिकार क्षेत्र/चयनित छात्रों को विनिर्दिश्ट पाठयक्रमों में कोंचिंग सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक ही है। योजना में लाभार्थी के रोजगार षामिल नहीं हैं और निःषुल्क कोचिंग का लाभ लेने के बाद उन्हें रोजगार पाने में या कहीं भी प्रवेष लेने में उनको किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराती है।

feF;k lwpuk dk izLrqrhdj.k

यदि किसी उम्मीदवार ने झूठी सूचना/दस्तावेज जमा कराया है और वह नकली सिद्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह सहायता पाने से वंचित हो जाएगा और उसने जो सहायता प्राप्त कर ली है अथवा प्राप्त कर रहा है, और खर्च की गई धनराषि को चक्रवृद्वि ब्याज सहित की वसूली के लिए उसके विरूद्व उपयुक्त कानूनी कार्रवाई भी जा सकती है।

eqdneckth

इस योजना के किसी भी मसले पर मुकदमेंबाजी की जाती है तो केवल राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित एकमात्र अदालत के अधिकार–क्षेत्र के अधीन होगा।

iz'kklfud 0;;

योजना दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन में विभाग को कुछेक प्रषासनिक व्यय खर्च करना पड़ सकता है जैसे–

(क) विभाग में योजना के कार्य–सम्पादन के लिए जनषक्ति की नियुक्ति करना। डाटा के परिणाम दर्ज करने की बहुत लम्बी प्रक्रिया का होना तथा योजना के पिछले कुछ वर्शों में क्रियान्वित हो जाने पर प्रारम्भ से ही योग्य कुषल कार्मकों की योजना से निपटने के लिए नियुक्ति की आवष्यता होगी।

(ख) लक्षित लाभार्थी समूह में जागरूकता पैदा करने विज्ञापनों का और अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रकाषन।

तदनुसार, योजना के लिए प्रषासनिक व्यय के रूप में कुल आवंटित बजट का 3 प्रतिषत से अधिक नहीं का प्रावधान रखा जाएगा ।

;kstuk dk l'kks/ku

प्रत्येक तीन वर्श में योजना का संषोधन किया जाएगा ।

¼p½ futh {ks= esa fn0;kaxtuksa ¼ihMCY;wMh,l½ dks jkstxkj iznku djus ds fy, l'kksf/kr iksRlkgu ;kstuk

i"BHkwfe%&

निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले नियोक्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना की वित्तीय वर्श 2007–08 के बजट–भाशण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने घोशणा की थी ।

इस उदघोशणा के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए एक योजना का षुभारम्भ किया था जो पहले तीन वर्शों में दिव्यांगजनों को 25,000/–रूपये तक की मासिक मजदूरी पर नियुक्त करने के लिए ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के अंषदान का सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की परिकल्पना करती है ।

योजना की प्रस्तावना के बाद, मुद्रित और अन्य माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया था । सभी मुख्य मंत्रियों से योजना के प्रचारार्थ और इसके क्रिंयान्यन की सूक्ष्म निगरानी के लिए निवेदन किया गया था ।

एफआईसीसीआई ने 17.10.2008 को नई दिल्ली में योजना के विशय में सूचना प्रसार के लिए नियोक्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया था जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री ने सम्बोधित किया था । इसके बाद राज्य स्तर पर हैदराबाद, कोलकाता और जयपुर में बैठकें आयोजित की गई।

प्रोत्साहन योजना का स्वरूप मूलतः स्वैच्छिक है। योजना के विशय में मंत्रालय के साथ–साथ ईपीएफओ एवं ईएसआई द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। 2008–09 के बाद से ईपीएफओ और ईएसआईसी को 3.00 करोड़ रूपए की धनराषि प्रचार–प्रसारार्थ निर्मुक्त की गई थी।

मुद्रित और अन्य माध्यम के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया था। लेकिन अब तक उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। लाभार्थी मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेष, गुजरात, कर्नाटक, महाराश्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों में ही देखे गए हैं जबकि अन्य राज्यों में कोई कवरेज नहीं थी या बहुत कम कवरेज थी।

उच्च स्तरीय निगरानी समिति द्वारा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार और क्रियान्वयन की निगरानी के बावजूद भी योजना धरातल पर ही बनी रही। अतः योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु न केवल योजना को और अधिक आकर्शक बनाना अनिवार्य है बल्कि कुषल कारीगरों के रोजगार और उपलब्धता से संबंधित मुद्‌दों को भी हल किया जाना है।

योजना के प्रति कम प्रतिक्रिया के कारणों के आकलन के लिए और नियोक्ताओं के लिए इसे और अधिक आकर्शक बनाने और अन्य संबंधित मुददों के लिए कदम उठाए जाने के सुझावों के लिए अतिरिक्ति सचिव, श्रम मंत्रालय की

अध्यक्षता में एक सुदृढ़ टीम का गठन किया गया था । सुदृढ़ टीम ने अगस्त 2012 में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है और कुछेक सिफारिषें की है ।

ikRlkgu ;ktuk dh vkj de ifrfØ;k d dNd e[;&e[; dkj.k bl idkj g&

i) नियोक्ता के अंषदान की प्रतिपूर्ति केवल 3 वर्श थी ।

ii) योजना के तहत मजदूरी की वर्तमान सीमा रूपए 25,000/–तक ही थी ।

iii) नियोक्ता द्वारा 1.1 प्रतिषत का संबंधित प्रषासनिक प्रभार दिया जा रहा है ।

iv) नियोक्ता को किसी प्रकार का कर प्रोत्साहन न मिलना ।

v) नियोक्ता के अंषदान की प्रतिपूर्ति की बोझिल पद्वति ।

vi) निजी क्षेत्र की आवष्यकताओं के अनुरूप दिव्यांगजनों के कौषल का अनमेल ।

vii) निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों का रोजगार अनिवार्यता का न होना ।

दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) में यह मुददा विचाराधीन है और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त आदानों/विचार–विमर्ष के आधार पर योजना के सुधार हेतु दिए गए सुझाव इस प्रकार हैः–

futh {k= e fn0;kxtuk dk jktxkj miyC/k djku d fy, l'kfDr ikRlkgu ;ktuk

i) नियोक्ताओं को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई अंषदान को जमा करने की जरूरत नहीं है। नियोक्ताओं को उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के संबंध में ईपीएफओ/ईएसआईसी को मात्र सूचित करने की आवष्यकता है। ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के संबंधित खातों में नियोक्ता का अंषदान जमा कराया जाएगा। दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग ईपीएफओ/ईएसआईसी को अग्रिम रूप में भुगतान करेगा।

ii) योजना किसी भी वेतन/मजदूरी की अधिकतम सीमा के बावजूद निजी क्षेत्र रोजगाररत समस्त दिव्यांग कर्मचारियों के लिए लागू होगी।

iii) दिव्यांग सषक्तिकरण विभाग द्वारा ईपीएफ/ईएसआई अंषदान का प्रषासनिक प्रभार (वर्तमान दर पर) वहन किया जाएगा।

iv) सरकार नियोक्ताओं का अंषदान ईपीएफओ और ईएसआईसी को नियोक्ताओं के अंषदान का 10 वर्शों तक भुगतान करेगी।

v) दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को देय और स्वीकार्य ग्रेच्यूटी धनराषि की एक तिहाई राषि, जिसे ग्रेच्यूटी अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, वहन की जाएगी ।

vi) यदि निजी नियोक्ता किसी विषेश ट्रेड में दिव्यांगों को प्रषिक्षुओं के रूप में सेवा में लेता है और प्रषिक्षु अवधि पूरी होने पर उन्हें नियुक्त करता है तो दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग को प्रषिक्षुता अवधि के दौरान देय वेतन को वहन किया जाएगा ।

vii) योजना में पर्याप्त बजट का प्रावधान रखा गया है:

(क) योजना के प्रावधानों के बारे में एफआईसीसीआई (FICCI), ऐस्सोचाम (ASSOCHAM), सीआईआई (CII) जैसे उ़दयोग. संघों को संवेदनषील बनाना ।

(ख) योजना के विशय में उन्हं संवेदनषील बनाने के लिए कारपोरेट निकायों के मानव संसाधन प्रमुख/प्रबंधक के साथ संगोश्ठी/कार्यषालाएं आयोजित करना और दिव्यांगजनों को अपने संगठनों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन देना ।

(ग) इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया, सामाजिक मीडिया और हैंडबिल, स्मारिका आदि के माध्यम से योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार ।

(घ) समय–समय पर देष के विभिन्न भागों में नौकरी मेलों का आयोजन करना ।

(viii) विभाग कर परामर्षदाताओं की राय आमन्त्रित करके एक उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे वित्त मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ताकि निजी नियोक्तओं को दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपयुक्त कर राहत दी जा सके।

;kstuk dh fuxjkuh

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी । समिति का गठन निम्न रूप से होगा:–

(क) सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी – अध्यक्ष

(ख) महानिदेषक, रोजगार एवं प्रषिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय–सदस्य

(ग) ईपीएफओ का मुख्य भविश्य निधि आयुक्त – सदस्य

(घ) डीईपीडबल्यूडी का संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार प्रभारी

(ड.) समिति, एएसएसओसीएचएएम, सीएलएल आदि जैसे निकायों के कर्मचारियों को विषेश आमन्त्रित अथवा विषेशज्ञ समूह के रूप में निमन्त्रित करेगी ।

(छ) 5 राज्य सरकारों प्रतिनिधि।

समिति आवष्यकता के अनुसार, समय–समय पर एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी और योजना के सुचारू संचालन के लिए आवष्यक विभिन्न मुद्‌दों पर विचार करेगी ।

ईपीएफओ और ईएसआईसी सहित क्रियान्वित अभिकरण डीईपीडब्लूडी को लाभार्थियों और निधियों के उपयोग के ब्यौरो सहित तिमाही विवरणिका प्रेशित करेंगे। विवरणिका ऊपर वर्णित की गई उच्च स्तरीय समिति के सम्मुख रखी जाएगी ।

iz'kklfud O;;%& योजना को क्रियान्वित करने के लिए संविदागत कर्मचारियों की नियुक्ति, समय–समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों आदि पर किए जाने वाले खर्चों का ध्यान रखते हुए योजना के प्रषासनिक व्यय के रूप में कुल बजट के 3 प्रतिषत का प्रावधान रखा जाएगा।

इस योजना के मुकदमेबाजी के किसी भी प्रकार के मामले, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित अदालतों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

संषोधित योजना 1 अप्रैल, 2016 से लागू है और प्रत्येक तीन वर्श में संषोधित की जाएगी ।

¼N½ jk"Vªh; fodykax foÙk ,oa fodkl fuxe ¼,u,p,QMhlh½

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर लाभकारी कंपनी है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों (एस सी ए) के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार एवं उद्‌यमशीलता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है।

(राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम) द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1½ _.k ;kstuk;sa

(i) सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिक्री/व्यापार क्रियाकलाप के लिए 3 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र के क्रियाकलाप के लिए 5 लाख रुपये का ऋण

ऋण सहायता दिव्यांग व्यक्ति के सेवा क्षेत्र अथवा व्यापार क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु प्रदान की जाती है।

(ii) कृषि/संबद्ध क्रियाकलापों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण

दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण सहायता कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि सेवा के लिए कृषि मशीनरी/उपकरणों की खरीद, कृषि उत्पादों के विपणन के लिए प्रदान की जाती है।

(iii) वाणिज्यिक किराये के लिए वाहन की खरीद के लिए–10 लाख रुपये तक का ऋण

वाणिज्यिक किराये के प्रयोजन के लिए वाहन की खरीद।

(iv) लघु उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण

विनिर्माण, निर्माण (फेब्रिकेशन) एवं उत्पादन क्रियाकलाप के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांग व्यक्ति कंपनी का स्वामी/मुख्य कार्यकारी होगा।

(v) दिव्यांग युवा व्यवसायियों के लिए योजना

स्व–रोजगार के लिए व्यावसायिक रूप से शिक्षित/प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को 25 लाख रुपये तक का ऋण।

(vi) व्यवसाय परिसर विकसित करने के लिए योजना

अपनी निजी भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने एवं स्व–रोजगार क्रियाकलाप शुरू करने के इच्छुक दिव्यांग व्यक्तियों को 3 लाख रुपये तक का ऋण।

(vii) मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क अंगघात एवं ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों को स्व–रोजगार के लिए 10 लाख रूपये तक ऋण

मानसिक मंदता, प्रमस्तिश्क अंगघात एवं ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति वित्तीय संस्थान से ऋण लेने के लिए अपेक्षित विधिक संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होगा। ऐसे मामलों में निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति किसी आय सृजन क्रियाकलाप के लिए मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की ओर से राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से वित्तीय सहायता हेतु पात्र हैंः–

(i) आश्रित मानसिक दिव्यांग व्यक्ति के माता–पिता

(ii) आश्रित मानसिक दिव्यांग व्यक्ति का विवाहिति

(iii) मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति का विधिक अभिभावक

(viii) तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक की तथा विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपये तक की ऋण सीमा

भारत एवं विदेश में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन एवं अन्य शुल्क/अनुरक्षण लागत/पुस्तकों एवं उपकरण आदि का खर्च वहन करने के लिए।

(ix) व्यावसायिक अध्ययन के लिए योजना : व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु 2 लाख रुपये तक का ऋण।

(x) सहायक यंत्रो की खरीद के लिए योजना : रिट्रोफिटिंग सहित सहायक यंत्रो की खरीद के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण जो दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार/स्व–रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

(xi) क्षमता विस्तार के लिए गैर–सरकारी संगठनों के लिए योजना : दिव्यांग व्यक्तियों के किसी समूह की ओर से एकल या बहु–उत्पादन क्रियाकलाप संचालित करने के लिए विकलांगता सेक्टर के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को 5.00 लाख रुपये तक का ऋण।

(xii) माइक्रो क्रेडिट योजना : गैर–सरकारी संगठन को 5.00 लाख रुपये तक का ऋण, 5ः वार्शिक दर पर प्रति लाभार्थी 25000 रुपये।

यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जहां गैर सरकारी संगठन ऋण के लिए (राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसी) को आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

(xiii) मानसिक मंद व्यक्ति पैरेंट एसोसिएशन के लिए योजना : 5.00 लाख रुपये तक का ऋण।

मानसिक मंद व्यक्तियों के लाभ के लिए आय सृजक क्रियाकलाप स्थापित करने हेतु मानसिक मंद व्यक्ति पैरेंट एसोसिएशन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आय सृजक क्रियाकलाप का स्वरूप इस प्रकार होगा कि इसमें मानसिक मंद व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे तथा आय मानसिक मंद व्यक्तियों के बीच वितरित की जाएगी।

2 vuqnku ,oa vU; ;kstuk;sa

(प) कौशल एवं उद्यम विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता

दिव्यांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले 15–50 वर्ष की आयु के व्यक्ति) को पारंपरिक एवं तकनीकी व्यवसाय एवं उद्यम के क्षेत्र में समुचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम एवं आत्मानिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों/प्रतिष्ठित संस्थानों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग प्रशिक्षुओं को प्रति माह 2000 रुपये की दर से प्रशिक्षण वजीफा भी प्रदान किया जाता है।

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पंजीकृत संस्थानों को हैंडहोल्डिंग सहायता : पंजीकृत संस्थान ऋण प्राप्ति करने में या प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रक्रियागत/प्रलेखन औपचारिकताओं के लिए सूचना, सहायता, मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के लिए 1000 रुपये तक की हैंडहोल्डिंग सहायता के लिए पात्र हैं।

(iii) छात्रवृत्ति योजना :

राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम दो छात्रवृत्ति योजनायें भी कार्यान्वित कर रहा है। इनके अंतर्गत कुल 3000 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। दिव्यांग छात्र राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की वेबसाइट (ूण्दीकिबण दपबण्पद) पर छात्रवृत्ति के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।

ik=rk ekunaM

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी दिव्यांग व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है–

क) 40% या इससे अधिक विकलांगता वाला कोई भारतीय नागरिक।

ख) न्यूनतम 18 वर्ष की आयु हो।

ग) संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता/अनुभव एवं पृष्ठभूमि हो।

नोट :

मानसिक मंद व्यक्तियों के मामले में सामान्यत 18 वर्षों के स्थान पर 14 वर्ष की आयु की छूट है।

विकलांग युवा व्यावसायियों के लिए योजना के मामले में आयु मानदंड 18–45 वर्ष है।

शैक्षिक ऋण के मामले में केवल (क) लागू है।

vnk;xh vof/k % ¼_.k ;kstuk½

1. स्व–रोजगार के लिए योजना एवं पैरेंट एसोसिएशन योजना	–	अधिकतक 10 वर्ष
2. शैक्षिक ऋण के लिए योजना	–	अधिकतक 7 वर्ष
3. माइक्रो क्रेडिट योजना	–	अधिकतम 3 वर्ष

ब्याज दर : (शिक्षा ऋण के सिवाय ऋण योजना)

	ऋण राशि	एस सी ए द्वारा एनएचएफडीसी को भुगतान किया जाने वाला	लाभार्थियों द्वारा एस सी ए को भुगतान किए जाने वाला
i)	50,000 रुपये तक	2%	5%
ii)	50,000 रुपये से अधिक एवं 5.00 लाख रुपये तक	3%	6%
iii)	5.00 लाख रुपये से अधिक एवं 15.00 लाख रुपये तक	4%	7%
iv)	15.00 लाख रुपये से अधिक एवं 25.00 लाख रुपये तक	5%	8%

छूटः सभी योजनाओं में (शिक्षा ऋण को छोडकर) दिव्यांग महिलाओं को 1ः ब्याज की छूट दी जाती है।

ब्याज दर एवं छूट (शिक्षा ऋण) :

20.00 लाख रुपये तक	1%	4%

छूटः शिक्षा ऋण योजना में महिला दिव्यांग छात्रों को ब्याज पर 0.5 की छूट दी जाती है।

दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/मानसिक मंदता के लिए ब्याज पर छूटः

स्व–रोजगार ऋणों के अंतर्गत दृष्टि बाधिता/श्रवण बाधिता/मानसिक मंदता के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 0.5ः की विशेष छूट भी उपलब्ध है।

ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया :

निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एन एच एफ डी सी की राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों को प्रस्तुत किया जाता है। 5.00 लाख रुपये तक का ऋण एन एच एफ डी की एस सी ए द्वारा स्वीकृत किया जाता है और 5.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण की सिफारिश एस सी ए द्वारा की जाती है और स्वीकृति हेतु एन एच एफ डी सी को अग्रेषित किया जाता है। ऋण आवेदन पत्र एन एच एफ डी सी की अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसियों यथा आर आर बी एवं बैंक आदि को भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

धन प्रवाह तंत्र :

एनएचएफडीसी → राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियो → लाभार्थी

अन्य योजनाएं जारीः

[k- lqxE; Hkkjr vfHk;ku

सरकार ने एक समावेशी समाज की परिकल्पना की है जिसमें उत्पादनात्मक, सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति एवं विकास हेतु समान अवसर एवं सुगम्यता प्रदान की जाती है। इस विजन को आगे बढाने के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने तथा सक्षम एवं निर्बाध वातावरण सृजित करने के लिए तीन घटकों (वर्टिकलस) निर्मित वातावरण, सार्वजनिक परिवहन एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दिव्यांगजनों के लिये सार्वभौमिकता प्राप्त करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी फलैगशिप अभियान के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है।

2- lqxE; Hkkjr vfHk;ku ds varxZr fuEufyf[kr miyfC/k;ka izkIr dh xbZ gS%

- सुगम्य भारत अभियान अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्लीं में 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया है।

- विभिन्न हितधारियों के साथ परामर्श के बाद अभियान का कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें मुख्यत लक्ष्यों एवं उनकी समय–सीमा निर्धारित की गई है। अभियान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, (क) निर्मित वातावरण की सुगम्यता (i) 50 शहरों में कम से कम 25–50 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुगम्यता जांच (एक्सिसिबिलिटी ऑडिट) पूरी करना और उनको जुलाई, 2016 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना (ii) राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्य राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को जुलाई, 2018 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना, (iii) लक्ष्य (i) और (ii) में कवर न किए गए राज्यों के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों/नगरों में जुलाई, 2019 तक 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्यता जांच पूरी करना और उन्हें पूरी तरह सुगम्य बनाना। (ख) परिवहन प्रणाली सुगम्यता (i) सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुगम्यता जांच पूरी करना और जुलाई, तक उन्हें पूरी तरह सुगम्य बनाना। (ii) सभी घरेलू हवाई अड्डों की सुगमता जांच पूरी करना और मार्च, 2018 तक उन्हें पूरी तरह सुगम्य बनाना (iii) ए1, ए एवं बी श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों को जुलाई 2016 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना और 50 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को मार्च, 2018 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना (iv) सरकारी स्वामित्व के 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन कैरियरों को मार्च, 2018 तक पूरी तरह सुगम्य बनाना। (ग) ज्ञान एवं आईसीटी इकोसिस्टम की सुगम्यता (i) कम से कम 50 प्रतिशत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की वेबसाइटों द्वारा मार्च, 2017 तक सुगम्यता मानकों को पूरा किया जाना (ii) मार्च, 2018 तक 200 अतिरिक्त संकेत भाशा व्याख्यताओं (साइन लैंगुएज इन्टरप्रेटर्स) को प्रशिक्षित करना एवं तैयार करना, (iii) सार्वजनिक दूरदर्शन समाचार–जुलाई, 2016 तक कैप्शनिंग एवं साइन–लैंगुएज इंटरप्रटेशन के बारे में राष्ट्रीय मानक तैयार करना एवं अपनाना। सरकारी चैनलों पर कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक दूरदर्शन कार्यक्रमों द्वारा मार्च, 2018 तक निर्धारित मानको का अनुपालन किया जाना।

- विभाग ने इंचियॉन कार्यनीति दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाले सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न घटकों की जानकारी प्रदान करने के लिए 24 सितंबर, 2015 को मुंबई में एक जोनल जागरूकता सम्मेलन–सह–कार्यशाला

आयोजित की और दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित करने की यात्रा में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों पर गहन चर्चा को भी शामिल किया गया।

- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों में नोडल अधिकारियों को चिहनित किया गया।
- डलहवअण्पद सार्वजनिक इनपुट के माध्यम से अभियान का आधिकारिक लोगो एवं नारा सृजित किया गया।
- प्रत्येग घटक के अंतर्गत सुगम्यता मानक सृजित किए जा रहे हैं।
- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि दिव्यांग व्यक्तियों एवं वृद्ध व्यक्तियों सहित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी सार्वजनिक भवनों में सभी सेवाओं एवं सुविधाओं की समान सुगम्यता होनी चाहिए, दिनांक 23.03.2016 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिव्यांग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त निर्मित वातावरण हेतु संतुलित दिशानिर्देशों एवं स्थान मानक जारी किया गये हैं। ये दिशा–निर्देश विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/एजेंसियों/निकायों/राष्ट्रीय संस्थानों/राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्शन के माध्यम से सहभागी दृष्टिकोण के परिणाम हैं। भवनों को अंगीकृत करने के लिए कंपनियों एवं व्यक्तियों के साथ भागीदारी निर्मित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रारूप राष्ट्रीय भवन संहिता, जो पुनरीक्षण के अधीन है, में सुगम्यता संबंधी सभी मानकों को शामिल किया जाए, ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ बैठक आयोजित की गई है।
- 18 एक्सस आडिटरों को सूचीबद्ध किया गया है तथा 31 शहरों में चिह्नित भवनों/स्थानों की सुगम्यता जांच (एक्सस आडिट) शुरू करने के कार्य के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- सुगम्यता लेखापरीक्षकों (एक्सस आडिटरों) का एक पूल सृजित करने के लिये, जो सुगम्यता जांच करने के लिए सभी राज्यों में उपलब्ध हो, नेशनल सी पी डब्ल्यु डी अकादमी, गाजियाबाद, शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- सुगम्यता समाधान में अभिनवीकरण एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आई आई टी, आई आई एम एवं अन्य संस्थानों में 50 सुगम्यता क्लब।
- अगम्य स्थानों के बारे में क्राउड सोर्सिंग सूचना के लिए मोबाइल ऐप॑ के साथ वैब पोर्टल का विकास। वैब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन से नागरिक चित्रों या वीडियो को पोस्ट करके अगम्यव स्थानों की सूचना दे सकते हैं।
- 30 मार्च 2016 को 'एक समावेशिता एवं सुगमता सूचकांक' शुरू किया गया है जिसके माध्यम से उद्योग एवं निगम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थलों को सुगम्य बनाने के लिए अपनी तैयारी का स्वेच्छा से मूल्यांकन कर सकते हैं।
- मंत्रिमंडल सचिवालय ने सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों में नोडल

अधिकारियों की नियुक्ति सहित कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से समीक्षा/मॉनीटरिंग करने और कार्यान्वयन संरचना सृजन करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की है।

vU; e=ky;k d lkFk leUo;

- नागर विमानन मंत्रालयः घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सुगम्यता जांच (एक्सस आडिट)।
- शहरी विकास मंत्रालयः भवनों; स्मार्ट सिटीज के लिए सुगम्यता मानकों का विकास।
- पर्यटन मंत्रालयः सुगम्यता पर्यटन एवं संस्कृति।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालयः सुगम्य विद्यालय एवं महाविद्यालय।
- रेल मंत्रालयः श्रेणी ए1, ए एवं बी के अंतर्गत सुगम्य स्टेशन।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयः सार्वजनिक दूरदर्शन कार्यक्रम का श्रवण विवरण, वाक पाठ (टेक्स्ट) एवं कैप्सनिंग।

➢ सुगम्य भारत अभियान की सफलता के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित उपाय करके, कार्यनीतिक दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को कार्यान्वित करेंगीः–

(i) सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत समन्वय, प्रवर्तन तंत्र तथा दिव्यांगजन अधिनियम की जागरूकता के मिश्रण से अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विकलांगों, सुगम्यता पेशेवरों एवं विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति एवं प्रोग्राम मानीटरिंग यूनिट का गठन।

(ii) सरकारी भवनों की सुगम्यता बढ़ाने के लिए न्यूनतम मानकों एवं दिशानिर्देशों का विकास; उनका प्रसार एवं मानीटरिंग;

(iii) दिव्यांगजनों द्वारा सामना किये जा रहे सुगम्यता मुद्दों के बारे में वास्तुविदों/संविदाकारों/संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।

(iv) भवनों और अन्य सुविधाओं में ब्रेल में तथा पढ़ने एवं समझने के आसान रूपों में पब्लिक सिग्नेज खुले रखना।

(v) भवनों और अन्य सुविधाओं को जनता के लिये खुला रखने के लिये सुगम्य बनाने के लिये दिशानिर्देशों, रीडर्स एवं पेशवेर साइन लैंगुएज इंटरप्रेटर्स सहित सीधी सहायता एवं मध्यरवर्तियों के रूप में प्रदान करना।

(vi) अत्यधिक महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चिह्नित करना और उनकी सुगम्यता जांच करना और उन्हें पी ई आर टी चार्ट सृजित करके पूरी तरह सुगम्य भवनों में परिवर्तित करना।

(vii) राज्य सरकार अपने भवन उपनियमों एवं योजनाओं/कार्यक्रमों में सुगम्यता धारा को शामिल करेगी।

(viii) राज्य के प्रत्येक जिले में नोडल सुगम्य अधिकारी होगा।

(ix) सुगम्यता मानक स्थानीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानको अर्थात् आई एस ओ के यथासंभव अनुरूप होने चाहिए। निर्मित वातावरण के संबंध में आई एस ओ 21542: 2011, भवन निर्माण– निर्मित वातावरण की सुगम्यता एवं प्रयोज्यता, निर्माण, एसेम्बली, घटकों एवं फिटिंग्स के संबंध में अपेक्षाओं एवं सिफारिशों के एक सेट का उल्लेख किया गया है।

(x) दिव्यांगजनों के लिए सूचना की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए उनकी सहायता एवं सहयोग के उपयुक्त रूपों को बढ़ावा देना।

(xi) दिव्यांगजनों के लिए इंटरनेट सहित नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों की सुगम्यता बढ़ाना।

x- tkx:drk l'tu vkSj çpkj ;kstuk

mís';

क) दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण सहित उनके कल्याण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टी मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम आधारित प्रचार सहित, व्यापक प्रचार करना।

ख) दिव्यांगजनों में विश्वास सृजित करने हेतु समान अवसर, समानता एवं सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

ग) संविधान, अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन, निःषक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 और अधीनस्थ विधान (नों) में यथा निहित दिव्यांगजनों के विधिक अधिकारों के संबंध में दिव्यांगजनों एवं सिविल समाज सहित सभी हितधारियों के ध्यान में लाना।

घ) नियाक्ताओं और अन्य ऐसे समूहों को विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सुग्राही बनाना।

ङ) दिव्यांगता के लिए जिम्मेदार कारणों और शीघ्र पता लगाकर इसकी रोकथाम आदि के बारे में दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए जागरूकता बढ़ाना और समाज को सुग्राही बनाना।

च) दिव्यांगजनों के लिए विधिक उपबंधों एवं कल्याणकारी योजनाओं का कारगर कार्यान्वायन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

छ) विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए विशय वस्तु विकसित करना।

ज) हेल्पलाइनस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

झ) प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ञ) दिव्यांगताओं के बारे में प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ट) दिव्यांगजनों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त सुविधाओं का सृजन करना या सृजन को सरल बनाना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पर्यटन, शैक्षिक, चिकित्सीय, धार्मिक पर्यटन, खेलकूद आदि शामिल हो सकते हैं।

ठ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों/योजनाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ड) दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नौकरी संबंधी मेलों, अभियानों, कौशल विकास के बारे में जागरूकता आदि जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

ढ) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वैबसाइट शामिल है, सृजित करके और सुगम्यता जांच (एक्सस आडिट) करके सार्वभौमिक सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

ण) दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

त) दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

–f"Vdks.k ,oa dk;Zuhfr

;kstuk dk –f"Vdks.k fuEufyf[kr gksxk %

क) सामाजिक नेटवर्किंग के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना।

ख) सुगम्य वैबसाइट आदि का रख–रखाव करना।

ग) प्रत्यक्ष रूप से या सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों/संगठनों के माध्यम से सेमिनारों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, मेलों, प्रदर्शनियां आदि का आयोजन करना।

घ) दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी करना।

ङ) प्रौद्योगिकी, सहायक सामग्री एवं उपकरणों आदि की उपलब्धता आदि सहित दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन, सर्वेक्षण, गणना एवं मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करना।

च) विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का समन्वय एवं समेकन करना।

छ) 'सामाजिक भलाई' एवं 'सामुदायिक कल्यााण' के विकास के लिए कार्यरत स्व–सहायता समूहों, पैरेंट संगठनों आदि को सहायता प्रदान करना।

ज) परफॉर्मरस के मानदेय, ठहरने एवं खाने–पीने तथा परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देय भुगतान की लागत का वहन करके, दूरदर्शन पर दिव्यांगजनों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए एवं परफॉर्म किए गए कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने जैसे क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना।

झ) विशेष कार्यक्रमों, विशेष दिवसों आदि का आयोजन करना।

ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की कमी उनकी प्रभावकारिता को कम करती है। स्वास्थ्य , शिक्षा, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी क्रियाकलापों के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग के अधीन एक अंतर–मंत्रालय समिति गठित की जाए जो सेवाओं एवं रेफरल प्रणाली के वितरण में सुधार लाने के लिए संगठनों के बीच समन्वय करे, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त वार्ताओं, ज्ञान एवं सुविज्ञता को साझा करने और विभाग के अधीन स्थापित किये जाने वाले विशेषज्ञ शिक्षक को साझा करने तथा प्रणाली के प्रसार को बढ़ावा दे।

ट) जहां कहीं उचित हो, पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना।

ठ) नौकरी मेले सहित दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए जागरूकता अभियान में सहायता करना।

ड) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वैबसाइट शामिल हैं, सृजित करके और सुगम्यता जांच (एक्सस आडिट) करके सार्वभौमिक सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

ढ) दिव्यांगता क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

ण) दिव्यांगता क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित सुसंगत कार्यकलाप/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

;kstuk ds vUrxZr lgk;rk ds fy, Lohdk;Z ?kVd

सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लोगो के अधीन ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए स्वंय निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकती है या विभिन्न संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकती है या उनके द्वारा स्व विवेक से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकती है।

I. हैल्पलाइन

II. विशय वस्तु तैयारी, प्रकाशन एवं न्यू मीडिया

III. आयोजन

क) राष्ट्रीय पुरस्कार एवं समर्थ आदि सहित विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम।

ख) अंतर्राष्ट्रीय आयोजन।

ग) गैर–सरकारी संगठन कार्यक्रम।

इस योजना के अंतर्गत, स्व सहायता एवं प्रचार समूहों के लिए दिव्यांगता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए माता–पिता की सहभागिता एवं सामुदायिक मोबिलाइजेशनः दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यक्तिगत या समूह आधारित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक, सहायक सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्वैयक्तिक संचार, नुक्कड़ नाटकों, फिल्म शो, रोड शो आदि के लिए अनुदानों पर विचार किया जा सकता है।

घ) उपर्युक्त संगठनों द्वारा आयोजित राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रम।

IV. वाणिज्यिक संस्थागनाओं एवं नियोक्तओं को सुग्राही बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम।

V. मनोरंजन एवं पर्यटन।

VI. सामुदायिक रेडियो में भागीदारी।

VII. प्रेस/मीडिया दौरे एवं अन्य मीडिया विशिष्ट क्रियाकलाप

VIII. ब्रांड एंबेसडर

vunkuk@foÙkh; lgk;rk d fy, ik= lxBu

i) स्व–सहायता समूह।

ii) समर्थन एवं स्व समर्थन संगठन।

iii) मोबिलाइजेशन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत माता–पिता एवं सामुदायिक संगठन।

iv) मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक सहायक सेवा।

v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन।

vi) श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायक सेवाएं प्रदान करने, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक एकाकीपन के उन्मूलन सहित विकलांगता सेक्टर के क्षेत्र में कार्यरत संगठन।

vii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन।

ik=rk ekunaM

(i) समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन संगठनों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 या चेरिटेबल एवं धार्मिक एंडोवमेंट अधिनियम, 1920 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए एक पंजीकृत संगठन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अस्तित्व।

(ii) संगठन को गैर–लाभकारी (नॉन–प्रोफिट) तथा 'लाभ के लिए नहीं' संगठन होना चाहिए या वह अपने लाभों का, यदि कोई हो तो, या अन्य आय का उपयोग चेरिटेबल उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो।

(iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों या कंपनी अधिनियम की धारा 8 या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन पंजीकरण की शर्तों से छूट प्राप्त है।

(iv) पिछले तीन वर्षों का विधिवत लेखा परीक्षित एवं समुचित रूप से अनुरक्षित लेखा और आय की विवरणी और प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट।

(v) सुसंगत क्रियाकलाप, जिसके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई है, को एक क्रियाकलाप के रूप में उनके संगम ज्ञापन में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(vi) केवल संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले संगठनों पर ही अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है।

(vii) गैर सरकारी संगठनों के मामले में प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित है।

/ku Loh—r djuk ,oa tkjh djuk

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र से मंगाया जाता है। सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी और सभी संवितरण विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से किए जाएगे।

(क) अल्पकालिक परियोजनाएं (एक बार कार्यक्रम या परियोजनाएं जिनकी अवधि 6 माह से अधिक न हों);

संवितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा;

75% अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक बंधपत्र (बांड) निष्पादित करने के बाद।

25% अंतिम रिपोर्ट और प्रथम किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

(ख) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 माह एवं इससे अधिक की अवधि की परियोजनाएं)

संवितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है :

40% परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड निष्पादित करने आदि के बाद।

40% प्रगति समीक्षा, पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद।

20% अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

?k- jk"Vh; fn0;kxtu dk"k

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 86 राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष का गठन करना अधिदेशित करती है। दिव्यागंजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्व के न्यास कोष के अन्तर्गत उपलब्ध कोष को राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष में सम्मिलित किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 कोष की उपयोगिता और प्रबंधन के लिए व्यापक तंत्र प्रदान करता है। इस उल्लिखित नियम के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय गठित किया है जो उल्लिखित कोष के समस्त प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। कोष के शासी निकाय की प्रथम बैठेक 09.01.2018 को आयोजित की गई थी।

इस समय, राष्ट्रीय कोष, जो उल्लिखित पूर्व के दो कोषों का भाग था, में कुल मिलाकर 294 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध हो सकती है। शासी निकाय ने कोष के लिए 250 करोड़ रूपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। कोष के लिए जुटाई जाने वाली आय केवल कोष के तहत चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए उपयोग में लाई जाएगी। पेन/टिन/पंजीकरण प्राप्त करने जैसी औपचारिकताएं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के तहत कोष को प्रचालित करने के लिए पूरी की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों/गतिविधियों के सुझाव के लिए एक समिति बनाई जा रही है। कोष से समर्थित हो सकती है।

N- ^^cy ilk d lLFkkiu@vk/kfudhdj.k@{kerk lo/ku gr lgk;rk** dh dUnh; {k=d ;ktuk

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ''ब्रेल प्रैसों के संस्थापन/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता'' नामक योजना का अनुमोदन नवंबर, 2014 में किया है।

ukMy ,tlh %

राष्ट्रीय दृश्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून भारतीय ब्रेल परिशद (बीसीआई) के माध्यम से योजना की नोडल एजेंसी होगी जिन्हे समाचार पत्रों तथा वैबसाइटों पर विज्ञापन द्वारा जारी करने तथा

संस्थापन/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन, स्क्रींनिंग, एप्लिकेषनस, तकनीकी विकास, सुधारों की सिफारिष, संस्थापन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका एवं एप्लीकेषनस प्रक्रियाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते तथा योजना के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए इन आवेदनों को विचारायें एवं सिफारिष हेतु निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जायेगाः–

(i)	संयुक्त संचिव, दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग	अध्यक्ष
(ii)	निदेषक, एनआईईपीवीडी	सदस्य
(iii)	बीसीआई के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	निदेषक (वित्त), दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग	सदस्य
(v)	सलाहकार निदेषक/उप सचिव	सदस्य संयोजक

dk;kUo;u ,tsalh

योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन एवं 05 वर्श से अधिक से ब्रेल प्रेसों का परिचालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रषासकों द्वारा ब्रेल प्रेसें चलाने के लिए स्थापित कोई अन्य संस्थान होगा।

योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा नई ब्रेल प्रेसों को स्थापित करने के 06 प्रस्ताव, आधुनिकीकरण के 11 प्रस्ताव तथा ब्रेल प्रेसों की क्षमता संवर्धन के 03 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सभी दृश्टि बाधित छात्रों को योजना के अंतर्गत ब्रेल प्रेसों में स्थापित/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के अंतर्गत मुद्रित विषेश पुस्तके निषुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

t- fn0;kxrk lcf/kr rdukykth] mRiknk vkj ennk ij vuql/kku ij dsUnh; {k=d ;kstuk%&

fn0;kxrk lcf/kr rdukykth] mRiknk vkj ennk ij vuql/kku ij dsUnh; {k=d ;kstuk%& योजना का आरंभ वर्श 2015–16 में हुआ। 12वीं पंचवर्शीय योजना की समाप्ति पर इस योजना को सिपडा की अम्ब्रेला योजना में षामिल कर दिया गया। इएफसी द्वारा सिपडा योजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया था। जिसके अंतर्गत दिव्यांगता क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के अवयव सम्मिलित है। योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :–

i) दिव्यांगजनों और उनके परिवारों की जीवन चक्र आवश्यकताओं, होलिस्टिक विकास पर सेवा माडलों और कार्यक्रमों पर अनुसंधान का संवर्धन करना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सक्षम वातावरण सृजित करना।

ii) जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवप्रर्वतन अनुप्रयुक्त और अनुसंधान कार्य शुरू करना और उसे बनाये रखना।

iii) दिव्यांगता के बचाव और प्रचलन और स्वदेशी, यंत्रों तकनौलाजी, उपयुक्त यंत्रों और उपकरणों के विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अनुसंधान में संवर्धन करना।

iv) अनुसंधान निश्कर्शो और नीति और नियोजन और पद्धति के बीच सुदृढ संपर्क स्थापित करना।

v) दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास में दिव्यांगजनों की सक्रिय और अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना।

dk;kUo;u ifØ;k

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना का संचालन सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में गठित एक संचालन समिति द्वारा देखा जाता है।

2. प्रत्येक वित्तीय वर्श एलिमको के अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति संचालन समिति को राश्ट्रीय संस्थानों/दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के समक्ष दिव्यांगताओं से संबंधित बल दिये जाने वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुसार समय–समय पर सर्वेक्षण अध्ययनों हेतु अनुसंधान उत्पादों और विशयों की सिफारिश करती है।

3. संचालन समिति द्वारा उपर्युक्त सिफारिशों को मान लिये जाने के बाद विभाग, जहां तक व्यावहारिक हो, आवधिक सर्वेक्षण/अध्ययन हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु विशेशज्ञों का पैनल चिह्नित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

4. छानबीन समिति विचारणीय विशय वस्तु और वित्तीय मापदंडों के संदर्भ में प्रत्येक प्रस्ताव की छानबीन करती है और अनुसंधान उत्पाद और सर्वेक्षण/अध्ययन हेतु प्रस्ताव को तकनीकी समिति के पास भेजती है। तकनीकी समिति अनुसंधान उत्पादों और सर्वेक्षण/अध्ययन विशयों के चयन का निर्णय करती है। संचालन समिति अनुसंधान उत्पादों और किये जाने वाले सर्वेक्षण अध्ययनों हेतु सहभागियों के चयन का निर्णय करती है।

I. bfM;u Likbuy batjh lsVj] ubZ fnYyh

इंडियन स्पाईनल इंजुरीस सैंटर, नई दिल्ली की स्थापना सेन राफेले अस्पताल, मिलन के माध्यम से इटली सरकार के सहयोग से स्पाईनल इंजुरी प्रबंधन हेतु सुपर स्पैसिलिटी सेवायें प्रदान करने हेतु की गई थी। इंडियन स्पाईनल इंजुरीस सैंटर, एक गैर–सरकारी संगठन, स्पाईनल कोड इंजुरीस और संबंधित पीड़ाओं से पीड़ित रोगियों को विस्तृत पुनर्वास प्रबंध सेवाये मुहैया कराता है। इनमें रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, स्टेबलाइजेशन आपरेशनस, शारीरिक पुनर्वास, शारीरिक–सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवायें शामिल हैं। संगठन के मुख्य कार्य स्पाईनल इंजुरॅड रोगियों के लिये मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास, देखभाल और पुनर्वास के मोडलस विकसित करना, प्रलेखन और वितरण, विशेश शिक्षा केन्द्र, परामर्शन सेवायें और आउटरीच कार्यक्रम

शामिल हैं।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सरकार गरीब रोगियों के उपचार हेतु हर रोज 25 निशुल्क बिस्तर मुहैया कराने में इंडियन स्पाईनल इंजुरीज सैंटर की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र गरीब रोगियों को 5 निशुल्क बिस्तर मुहैया कराती है।

¥- ubZ igy vkSj ;kstukvksa dh izxfr

Hkkjrh; ladsr Hkk"kk vuqla/kku vkSj izf'k{k.k dsUnz ¼vkbZ,l,yvkjVhlh½

- सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है, शुरूआत में विभाग के सहायक के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रभाव के आदेश 28 सितंबर 2015 को जारी हो गए है। केन्द्र के मुख्य उद्देष्य भारतीय संकेत भाशा में अनुप्रयोग के लिए जनषक्ति का विकास, प्रषिक्षित और अनुसंधान करेगा। वर्तमान में यह केन्द्र ए–91, प्रथम तल, नागपाल बिजनेस टावर, ओखला फेस–2, नई दिल्ली–110020 से परिचालन कर रहा है।

  आईएसआरटीसी का पंजीकरण 01.02.2016 को सोसाइटी के रूप में किया गया। 33 पदों के सृजन के लिए आदेश 06.02.2016 को जारी किया गया। केन्द्र के लिए 33 पदों के अनुमोदन के मुकाबले, 10.12.2016 तक 16 ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय संकेत भाशा व्याख्या में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रथम बैच 15 छात्रों की क्षमता के साथ 28.10.2016 से चालू है। दूसरा बैच 14.12.2016 से किया गया है और तीसरा बैच 10.04.2017 से शुरू किया गया है।

  लगभग 6000 षब्दों का संकेत भाशा षब्दकोश बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। आईएसएलआरटीसी भारत में आईएसएल ब्याख्याओं की डायरेक्ट्री बनाने की योजनाबद्ध है।

- fnO;kaxrk [ksydwn dsUnz

  मंत्रालय ने 03 दिव्यांगता खेलकूद केन्द्र जिसमें जीरकपुर (पंजाब), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) और ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार से भूमि प्राप्त कर ली है। दिव्यांग खेलकूद केन्द्रों हेतु अतंर्राश्ट्रीय उत्कृष्टता स्तर के केन्द्र स्थापित करने हेतु परामर्शन सेवायें प्रदान करने और स्थल विशिश्ट विस्तृत परियोजना तैयार करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

- jkT; LikbZu batqjh dsUnz

  राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करने की योजना 31.02.2015 को अधिसूचित की गयी। योजना को 31.03.2020 तक जारी रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र मुख्य रूप से स्पाइन इंजुरी के समेकित प्रबंध के लिए होंगे तथा 12 बिस्तरों सहित राज्य राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र के साथ जुडे होंगे।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर (राजस्थान) और सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू में में स्पाइनल इंजुरी केन्द्र षुरू किया।

- विभाग की अन्य प्रमुख योजना ''दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद में सहायता योजना (एडिप) के अंतर्गत विभाग में एनआई द्वारा विकसित एक केन्द्रीयकृत ऑन लाइन एप्लीकेषन प्रणाली आरंभ की गई।

- विभाग द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के स्वायतः निकाय एआईएफएसी के सहायोग से दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्र एवं उपकरणों से संबंधित सुगम्यता आवष्यकताओं को पूरा करने हेतु वैब पोर्टल आरंभ किया गया।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान – विभाग भोपाल में राश्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया में है।

- vf}rh; fn0;kxrk igpku ¼;kMhvkbZMh½ ifj;kstuk

    - दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग यूडीआईडी परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिससे की दिव्यांगजनों के लिए एक राश्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया जा सके और उन्हें प्रत्येक को अद्वितीय आईडी कार्ड भी जारी किया जा सके।

    - विभाग पहले ही साफ्टवेयर एप्लीकेषन विकसित कर चुका है और एनआईसी क्लाउड पर रखा गया है।

    - परियोजना दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध करएगी।

    - अद्वितीय पहचान पत्र पूरे देष में मान्य होगा। इसके अतिरिक्त पूरे देश के किसी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र यूडीआईडी वैब पोर्टल में यूडीआईडी कार्ड की प्रमाणिकता की जाचं के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया जायेगा।

    - यद्यपि इस साफ्टवेयर में आधार कार्ड कैपचर करने का प्रावधान है परंतु दिव्यांगता/यूडीआईडी कार्ड प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा।

    - विभाग द्वारा 15.06.2017 को अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आवेदन एवं प्राप्ति की प्रक्रिया निहित है।

    - विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के मामलों पर यूआईडीएआई के साथ विचार विमर्ष किया जा रहा है।

    - यूडीआईडीएआई ने सुझाव दिया कि विभाग अपने नियम/अधिनियम के माध्यम से अथवा आधार

अधिनियम के खंड 57 के अंतर्गत एक पृथक अधिसूचना द्वारा यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बना सकता है।

- वर्तमान में राज्यों द्वारा अधिकांष दिव्यांगता प्रमाण–पत्र हाथ से तैयार किये जा रहे है। जब तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऑनलाइन प्रणाली के प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तब इस स्तर पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के लिए आधार को अनिवार्य बनाना उपयुक्त नहीं होगा।
- इसको ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है, जिसमें विभाग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन जारी करने के लिए एक तिथि को नियत करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी के आधार पर तिथि नियत की जाएगी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार की अनिवार्यता हेतु नियमों में संषोधन किया जाएगा।

izR;{k ykHk gLrkraj.k ¼MhchVh½

- भारत सरकार ने योजनाओं की पहचान की है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के उद्देष्य के लिए लाभार्थियों को दिये जाने वाले नगद, वस्तु अथवा सेवा संबंधी लाभ सीधे उपलब्ध करवाये जाते है। डीबीटी का उद्देष्य यह सुनिष्चित करना है कि यह लाभ व्यक्ति के बैंक खाते में इलेक्ट्रिकल माध्यम से सीधे पहुंच ताकि भुगतान में विलंब न हो तथा लाभार्थियों का सटीक लक्ष्य सुनिष्चित हो तथा जालसाजी एवं दोहराने में कमी आए।
- डीबीटी के उद्देष्य से आधार अधिनियम के खंड 7/खंड 57 के अंतर्गत योजनाओं को अधिसूचित किया जाना है।
- डीबीटी प्लेटफार्म पर विभाग की 11 योजनाओं की पहचान पहले ही कर ली गयी। ट्रस्ट फंड की एक योजना के अतिरिक्त सभी योजनाएं परिचालन में है जो नये अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण अस्तित्व में नहीं है।

5
अध्याय

विभाग की संगठित योजनाएं

5-1 v,fVTe] çefLr"d ?kkr] ekufld enrk vkSj cgq fn0;kaxrkvksa ls xzLr 0;fDr;ksa ds dY;k.kkFkZ jk"Vªh; U;kl

çLrkouk%

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्याकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवद्ध ́न करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों– विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण

कर्तव्य स्कीमों के माध्यम से निभाएं जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख–रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत विकलांगजन को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

lxBuk dk ithdj.k&

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के संघ और दिव्यांगजनों के माता–पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। नई स्कीम प्रबंधन प्रणाली में देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 425 पंजीकृत संगठन हैं।

LFkkuh; Lrj lfefr

राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत, एक स्थानीय स्तर समिति देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

➢ संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।

➢ राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और

➢ निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित दिव्यांगजन

स्थानीय स्तर समिति का कार्य विधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तर समिति जागरूकता सृजन, अभिसरण और विकलांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। अभी तक, देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए 651 स्थानीय स्तर समितियां गठित की जा चुकी है।

fof/kd lj{kdk dh fu;fDRk

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवश्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। संरक्षण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है–

1. अनुरक्षण और आवासीय देखभाल
2. अचल संपत्ति का प्रबंधन
3. चल संपत्ति का प्रबंधन
4. कोई अन्य

jkT; ukMy ,tsUlh dsUæ ¼,l,u,lh½

राज्य स्तर पर इस स्कीम की प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एनजीओ को राज्य नोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में 30 एसएनएसी हैं। राष्ट्रीय न्यास, संस्थातगत गतिवधियां चलाने, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक करने, अन्य, एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों इत्यादि के साथ बैठक, के लिए निधि प्रदान करता है।

jkT; Lrj leUo; lfefr ¼,l,ylhlh½

राष्ट्रीय न्यास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अब तक 26 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन कर दिया गया है।

jk"Vªh; U;kl dh fofHkUu Ldheksa ,oa dk;ZØeksa dk vUrxZr eq[; xfrfof/k;ka&

¼i½ fn'kk ¼'kh?kz gLr{ksi vkSj fo|ky; rS;kjh Ldhe½& यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल चार निःशक्तताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनोंके लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 4 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) दिव्यांगजनों के लिए दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र में देखभालकर्ता और आयाओं के अलावा दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या शीघ्र हस्तक्षेप उपचारकर्ता, फीजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

संशोधित शीघ्र हस्तक्षेप स्कीम में, पूर्व स्कीम में यथाउल्लिखित 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के स्थान पर 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किए जाने का उपबंध होगा। स्थापना लागत 50,000 रूपये से बढ़कर 1.55 लाख रूपए की गई है।

¼ii½ fodkl ¼fnol&ns[kHkky½& यह विकलांगजनों के लिए, जब कि वे उच्चतर आयु वर्गों में शामिल होने की स्थिति में हों, अंतर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाने हेतु मुख्यतया उन्हें उपलब्ध अवसरों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक दिवस–देखभाल स्कीम है। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी मदद करता है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) दिव्यांगजनों के लिए

दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिवस–देखभाल सुविधा एक माह में कम से कम 21 दिन खुली होनी चाहिए।

¼iii½ leFkZ ¼jkgr ns[kHkky½ & समर्थ स्कीम का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगजनों को राहत गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। यह स्कीम सभी आयु वर्गों के लिए, पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करने का भी उद्देश्य रखती है।

संशोधित समर्थ केन्द्र में कार्य केन्द्र का प्रावधान होगा। प्रति लाभार्थी मासिक आवर्ती लागत को 1600 प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। यह स्कीम क्रमिक–ह्रास (टेपरिंग) अनुदान के स्थान पर पूर्णकालिक सहायता रखेगी।

¼iv½ ?kjkSnk ¼0;Ldksa gsrq lkefgd x`g½ & घरौंदा स्कीम का उद्देश्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली न्यूनतम देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। घरौंदा केन्द्र द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां, पूर्व–व्यावसायिक गतिविधियां और आगे प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

संशोधित घरौंदा स्कीम में निम्न आय वर्ग (बीपीएल समेत) और निम्न आय वर्ग से ऊपर के विकलांगजनों (जो कि पंजीकृत संगठनों के भुगतान आधारित सीटें होंगी) के लिए 5:1 के स्थान पर 1:1 का अनुपात होगा। 8 लाख रूपये प्रति निःशक्तजन के एककालिक भुगतान के स्थान पर 10,000 रूपये प्रति निःशक्तजन की मासिक आवर्ती निधि होगी। इसके अलावा, 2.50 लाख रूपये की एककालिक स्थापना निधि, 10 लाख रूपये की संकट निधि और 25,000 से 1,00,000 रूपये तक की कार्य केन्द्र स्थापना हेतु निधि होगी।

¼v½ fujke;* LokLF; chek Ldhe& यह स्कीम ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए है। नामांकित लाभार्थी मामूली षुल्क अदा करके 10 लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं। षुल्क ढ़ांचा इस वर्श संषोधित किया गया था जो नीचे दिया गया है:–

ukekadu ,oa uohdj.k 'kqYd%&

fn0;kaxtu Js.kh	ukekadu 'kqYd ¼:0 esa½	uohdj.k 'kqYd ¼:0 esa½
बीपीएल	रू. 250/-	रू. 50/-
गैर बीपीएल	रू. 500/-	रू. 250/-
वैधानिक अभिभावक वाले पीडब्ल्यूडी (प्राकृतिक रूप से अन्य)	निषुल्क	निषुल्क

vi½ lg;kxh ¼ns[kHkkydrkZ çf'k{k.k Ldhe½& इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषक देखभाल प्रदान करने के लिए देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और एक इनका एक कौशलयुक्त कार्यबल बनाने हेतु देखभालकर्ता प्रकोष्ठों (सीजीसी) की स्थापना करना है। यह माता–पिताओं को, यदि वे चाहें, देखभाल करने के कार्य में प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह स्कीम ऐसे देखभालकर्ताओं को बनाने के लिए, जो विकलांगजनों के परिवारों तथा विकलांगजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली अन्य संस्थाओं (गैर–सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ कार्य कर सकने लायक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी।

प्राथमिक पाठ्यक्रम के लिए 4,200 प्रति प्रशिक्षक की और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 8,000 रूपये की प्रशिक्षण लागत का प्रावधान है। साथ ही, इस स्कीम में प्राथमिक के लिए 5,000 रूपये और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 10,000 रूपये की दर से प्रशिक्षुओं हेतु अध्येतावृत्ति को भी लागू किया गया है।

vii½ Kku çHkk ¼'kSf{kd lgk;rk½& ज्ञान प्रभा स्कीम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं वाले लोगों को स्नातक पाठ्यक्रमों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों का, जिनसे रोजगार या स्वरोजगार मिलता है, अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय न्यास विकलांगजन को प्रति पाठ्यक्रम एक विशिष्ट धनराशि प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत सामान्यतया शुल्क, परिवहन, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च (ओपीई) इत्यादि आएंगे।

संशोधित स्कीम में, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल विकास पाठ्यक्रमों के स्थान पर अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। संशोधित स्कीम में, 1000 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए नियत आवर्ती राशि होगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम शुल्क, परिवहन, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च शामिल होंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1600 रूपये प्रतिमाह और स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 2000 रूपये प्रतिमाह होंगे। इसी प्रकार, पेशेवर पाठ्यक्रम के लिए 5,200 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 20,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति की उच्चतम सीमा तक परिवहन भत्ता होगा।

viii½ çsj.kk ¼foi.ku lgk;rk½& प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता स्कीम है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य और व्यापक चौनलों का सृजन करना है। यह स्कीम दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों, इत्यादि जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए निधियां प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह स्कीम विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास विकलांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं के विपणन और विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के आयोजनों में आरओ की प्रतिभागिता के लिए निधियां प्रदान करेगा। किंतु, इन कार्य केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजन होने चाहिए।

ix½ lHko ¼lgk;d ;= vkj lgk;d fMokbl½& यह युक्तियों के प्रदर्शन के प्रावधान के साथ विकसित सहायताओं, सॉफ्टवेयर तथा अन्य प्रकार की सहायक युक्तियों की तुलना और संग्रहण करने के लिए 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) देश के प्रत्येक नगर में एक–एक अतिरिक्त संसाध ान केन्द्र स्थापित करने की स्कीम है। इस स्कीम में, राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पर, संभव केन्द्र पर उपलब्ध सहायताओं और सहायक युक्तियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव किया जाना भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की निःशक्तताओं वाले दिव्यांगजनों की खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए सूचनाएं प्रदान करना और युक्तियों, उपकरणों, सहायताओं, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से उपलब्ध कराना है। पूर्व में, दिल्ली में एक गैर–सरकारी संगठन को संभव केन्द्र चलाने के लिए पहचाना गया था। अब, इसे स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक एनजीओं सम्भाव केन्द्र चलाने के लिए पहचान की गई थी। अब यह स्कीम में परिवर्तितकिया गया है।

x½ c<rh dne ¼tkx:drk] lkenkf;d lidZ ,o vfHkuo ifj;kstuk ;kstuk½& इस योजना के अंतर्गत राश्ट्रीय न्यास दिव्यांगता की जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राश्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता सृजित करना, दिव्यांगजनों का सुग्राहीकरण, सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाना है। राश्ट्रीय न्यास प्रत्येक वर्श प्रत्येक पंजीकृत संगठन के लिए अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित करेगा। प्रत्येक पंजीकृत कार्यालय को वर्श में कम से कम एक कार्यक्रम (समुदाय, शैक्षिक संस्थानों या चिकित्सा संस्थानों के लिए) आयोजित करना चाहिए।

5-2 Hkkjrh; iquokZl ifj"kn ¼vkjlhvkbZ½

भारतीय पुनर्वास परिषद को शुरु में 31 जुलाई, 1986 के संकल्प संख्या 22–17/83 –एच डब्ल्यू–III के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992(1992 की सं. 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में (2000 का सं. 38) इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टरर के रखखाव के लिए जिम्मेवार है।

ifj"kn dk mís';

1. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मानीटर करना।
2. दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न वर्गों के पेशेवरों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक विहित करना।
3. देश भर में एकरूपता लाने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थाननों में इन मानकों को विनियमित करना।

4. भारत में पुनर्वास पेशेवरों के लिए विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा संस्वीकृत योग्यताओं की मान्यता हेतु मंत्रालय को परामर्श देना।

5. भारत के बाहर संस्थानों द्वारा प्रदत्त योग्यताओं की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना।

6. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता धारण करने वाले व्यक्तियों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।

7. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग कर सतत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8. पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

ifj"kn d: dk;Z

1. भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यताएं जो अनुसूची में शामिल हैं, पुनर्वास पेशेवरों के लिए मान्यनता प्राप्त योग्यताएं होंगी।

2. कोई भी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्था जो पुनर्वास पेशेवरों को योग्यता प्रदान करती है परंतु अनुसूची में शामिल नहीं है, इस प्रकार की योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार, परिषद से सलाह लेकर अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दिया जा सकता है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में कोई प्रविष्टि की जाएगी।

3. परिषद किसी भी अन्य देश में एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण के साथ योग्यता की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक योजना स्थापित करने के लिए समझौता कर सकता है। ऐसी योजना के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को जिसे परिषद ने मान्यता देने का निर्णय लिया है इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दे सकती है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि यह योग्यता मान्यता प्राप्त है।

4. इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय पुनर्वास पेशेवर रजिस्टर में पुनर्वास पेशेवर के रूप में पंजीकरण।

5. भारत के विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता देने के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

6. पेशेवरों के लिए मानदंड, पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार और आचार संहिता निर्धारित करना।

7. पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का आकलन और संस्वीकृति प्रदान करना और सरकार द्वारा उनकी मान्यता देने और मान्यता वापस लेने को सुगम करना।

8. परिषद जैसा अपेक्षित समझे, किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, जहां पुनर्वास पेशेवरों को शिक्षा दी जाती है, कितने भी निरीक्षकों नियुक्त कर सकता है अथवा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्रदान करने के प्रयोजन से किसी भी परीक्षा का निरीक्षण कर सकता है।

6
अध्याय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार

;kstuk dk lf{kIr vkj mís';

विभाग हर वर्श अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, संस्थानों, जिलो आदि को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न निम्न (चौदह) श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं :–

I. lokÙke fnO;kaxtu deZpkjh@Lojkstxkjr

Ø- l-	mi&J.kh	iqjLdkjksa dh l[;k	iqjLdkj dk ?kVd
(i)	अंधता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	निम्न दृश्टि	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(iii)	कुश्ठ उपचारित	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(iv)	श्रवण बाधिता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(v)	चलन दिव्यांगता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(vi)	प्रमस्तिश्क घात	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल

Ø- l-	mi&J.kh	iqjLdkjk dh l[;k	iqjLdkj dk ?kVd
(vii)	मानसिक मंदता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(viii)	मानसिक रूग्णता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ix)	आटिज्म	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(x)	बहु–दिव्यांगता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
II.	lokÙke fu;kDrk vkj lylelV vkfQlj vFkok ,tlh grq iqjLdkj		
(i)	सर्वोत्तम नियोक्ता	तीन– इन प्रत्येक को एक : सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत अथवा स्थानीय सरकारी निकाय, निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	सर्वोत्तम प्लेसमैंट आफिसर / एजेंसी	दो – इन प्रत्येक को एक : स्वायत सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन अथवा कार्यालय	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड
III.	fn0;kxtuk dk yHkkFkk dk;jr lokÙke 0;fDr vkj lLFkku grq iqjLdkj		
(i)	सर्वोत्तम व्यक्ति	दो – (पेशेवर और गैर–पेशेवर प्रत्येक के लिये एक)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र

Ø- l-	mi&J.kh	iqjLdkjksa dh la[;k	iqjLdkj dk ?kVd
(ii)	सर्वोत्तम संस्थान	दो प्रत्येक के लिये एक : दिव्यांगजनों को समावेशी ढंग से हालिस्टिक समावेशी सेवाये मुहैया करा रहा कोई संगठन। और दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के समावेशी शिक्षा का संवर्धन कर रहा कोई संगठन	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
IV.	jky ekMy iqjLdkj		
(i).	अंधता अथवा निम्न दृश्टि	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	कुश्ठ उपचारित	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(iii)	श्रवण बाधिता	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(iv)	चलन दिव्यांगता अथवा प्रमस्तिश्क घात	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(v)	मानसिक मंदता/ मानसिक रूग्णता अथवा आटिज्म	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
V.	fn0;kxtuk d thou e l/kkj d mÌ';kFk lokÙke vuii;Dr vul/kku vFkok uoiorlu vFkok mRikn fodkl gr iijLdkj		
(i)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र

Ø- l-	mi&J.kh	iqjLdkjk dh l[;k	iqjLdkj d ?kVd
(ii)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ निर्माण हेतु नव–किफायती लागत उत्पाद का विकास	दो	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VII.	fn0;kx tuk gr ck/kkeDr okrkoj.k l`tu djus e mRd"V dk;l d fy; iqjLdkj		
(i)	सरकारी विभाग अथवा कार्यालय अथवा सामाजिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत निकाय	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	स्थानीय निकाय	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(iii)	निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी संगठन	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VII.	iquokl lok; inku djus e lokÙke ftyk gr iqjLdkj	एक	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। कोई नकद पुरस्कार नहीं
VIII.	jk"Vh; fodykx foÙk vkj fodkl fuxe dh lokÙke puykbftx ,tsUlh	एक	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
IX.	mR—"V 0;Ld l`td fn0;kxtu gr iqjLdkj	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
X.	lokre l`td fn0;kx cPp gr iqjLdkj	दो (एक लड़के के लिये और एक लड़की के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XI.	lokre cy iSl	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XII.	lokre lxE; oc lkbV		
(i)	सरकारी	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।

Ø- l-	mi&J.kh	iqjLdkjksa dh la[;k	iqjLdkj dk ?kVd
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्थानीय निकाय	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
(iii)	निजी क्षेत्र	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
XIII.	fn0;kaxtu l'kfDrdj.k lao/kZu esa loksZÙke jkT;	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
XIV.	loksZÙke [ksy&dwn fn0;kaxtu	दो (एक पुरूश के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एकं प्रमाण पत्र और एक शील्ड,

dSls vkosnu djsa%

(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी सिफारिश निर्धारित तारीख तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेंगे।

(2) पुरस्कार विजेता भी सिफारिश कर सकते है और आवेदन भेज सकते हैं।

इस संबंध में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होता है जिसे मंत्रालय की वैबसाइट पर भी डिस्पले किया जाता है।

(3) राश्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं की छंटाई हेतु स्क्रीनिंग समितियां बनाई जाती हैं। स्क्रीनिंग समिति में निम्नलिखित में से अध्यक्ष सहित चार से पांच सदस्य होते हैं :–

(क) केन्द्रीय सरकार के अथवा प्रतिश्ठित सरकारी संस्थाओं के उससे ऊपर के स्तर के सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी;

(ख) दिव्यांगता क्षेत्र में प्रतिश्ठित व्यक्ति और विशेशज्ञ अथवा पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र में विशेशज्ञ;

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि;

(घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभाग के अधीन संगठनों के उप–सचिव के रेंक के अथवा उससे ऊपर के रेंक के अधिकारी स्क्रीनिंग समितियों के संयोजक के तौर पर कार्य करेंगे।

राष्ट्रीय चयन समिति स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु पुरस्कार विजेताओं के नामांकन का निर्णय करेंगी।

प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग समितियों द्वारा आकलन किया जाता है। स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशें माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष रखी जाती हैं।

पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसंबर को एक भव्य समारोह में प्रदान किये जाते हैं।

7
अध्याय

टेलीफोन डायरेक्टरी-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

dUnh; lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=h

uke vkj inuke Jherh@Jh@lqJh	VsyhQksu ¼dk;kZy;½	VsyhQksu ¼fu-@ekckby½	dejk l[;k	bZ&esy irk
Mk FkkojpUn xgykr केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	23381001 23381390 23381902 (फैक्स)	23012175 23012195(Fax)	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	officesjem@gmail.com
Jh uhjt leoky मंत्री के निजी सचिव	23381001 23381390 23782132	9560333377	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
Jh idt dekj egrk मंत्री के ओ एस डी	23381001 23381390 23782132	9868155144	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
Jh 'kdj yky मंत्री के सहायक निजी सचिव	23012175 23012195 (फैक्स)	09649265610	4ए जनपथ, नई दिल्ली	
मंत्री का स्टाफ	23381001 23381390 23782132		201, सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk jkT; e=h				
Jh jkenkl vBkoy सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	mosathawale@gmail.com

uke vk|j inuke Jherh@Jh@l|Jh	VsyhQksu ¼dk;kZy;½	VsyhQksu ¼fu-@eksckby½	dejk la[;k	bZ&esy irk
Mk- i¦'kkar jkdM¦ राज्य मंत्री के निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	
Jh i¦Fohjktflag HkkVh राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)	09899345459	101 सी–विंग	Pruthiviralsinh b @gov.in
Jh i¦ohu ekj¦ राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)	09819416184	101 सी–विंग	
jkT; ea=h dk LVkQ	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	
lkekftd U;k; vk¦j vf/kdkfjrk jkT; ea=h				
Jh –".kiky xqtZj सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23072192 23072193 23072194 (फैक्स)	23794728 23794729	301, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	officemossje@ gmail.com
Jh vt; d¦ekj राज्य मंत्री के निजी सचिव	23072192 23072193		301, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	Ps2mossje@gmail. com
Jh fdjuiky [kVkuk राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23072192 23072193	9910500335	301, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	khatanakiranpal@ gmail.com
jkT; ea=h dk LVkQ	23072192 23072193 23072194 (फैक्स)		301, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	

uke vkj inuke Jherh@Jh@lqJh	VsyhQksu ¼dk;kZy;½	VsyhQksu ¼fu-@eksckbZy½	dejk la[;k	bZ&esy irk
lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk jkT; ea=h				
Jh fot; lkiyk सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23383757 23383745 23074097 (फैक्स) 23383757		251 ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	mos. socialjustice@ gmail.com
lqJh /kuizhr dkj राज्य मंत्री के निजी सचिव	23383745 23383757	9878000580	250ए ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली क्मसीप	dhanpreet kaur@ gmail.com
Jh iznhi dqekj /kk/kkuk राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23383745	9780027943	249ए ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	pradeepdaudha- na@gmail.com
jkT; ea=h dk LVkQ	23383757 23383745 23074097 (फैक्स)		216 बी डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
fn0;kaxtu l'kfDrdj.k foHkkx ds lfpo ,oa vU; vf/kdkjhx.k				
सुश्री षकुंताला डौले गामलिन, सचिव	24369055 24369067		515	secretaryda- msje@nic.in
सुश्री डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव	24369069 24365014	24109089	531	Jsdc-depwd@nic. in
डा. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव	24369056	8800415255	530	Jsds-msje@gov.in
सुश्री टी.सी.ए.कल्याणी सयुंक्त सचिव एवं वित्तीय सला. हकार	23387924		610, Shastri Bhawan	tca.kalyaani@nic. in
श्री के.विक्रम सिम्हाराव निदेशक	24369054	9910649868	518	kvsrao13@nic.in

uke vkj inuke Jherh@Jh@lqJh	VsyhQksu ¼dk;kZy;½	VsyhQksu ¼fu-@eksckbZy½	dejk la[;k	bZ&esy irk
श्री क्षितीज मोहन निदेशक (आईएफडी)	24369057	9968268487	512	Kshity.mohan@ nic.in
श्री विकाश प्रसाद निदेशक	24364391	7903918757	511	Vikas.prasad@gov. in
श्री टी.सी. शिवकुमार निदेशक	24369025	9441229519	520	tc.sivakumar@ gov.in thaliadan@ rediffmail.com
श्री के.के.झैल उप–सचिव	24364394	9654582113	520	kkjhell@gmail. com
श्री एम.एल.मीना उप–सचिव	24369045	9818549289	509	mlmeena789@ gmail.com dsni-msje@gov.in
श्री सीताराम यादव उप–सचिव	24369025	94570303917	520	-
डा. कमलेश कुमार पांडेय दिव्यांगजनों के लिये मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली	23383907	29531539	-	ccpd@nic.in
डा. कमलेश कुमार पांडेय अध्यक्ष, आरसीआई	26532381	-	-	ccpd@nic.in
डा. कमलेश कुमार पांडेय अध्यक्ष, राश्ट्रीय न्यास	43187800			ccpd@nic.in
श्री डी.आर. सरीन सीएमडी, एलिम्को	0512- 2770614	9999300662 0512-2770617	-	cmdalimco@ artlimbs.com
श्री मुकेश जैन, संयुक्त सचिव एवं सीएमओ राश्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	43187810	844703669	-	contactus@ thenationaltrust. in
श्री डी.आर. सरीन अध्यक्ष,–सह–प्रबंध निदेशक एनएचएफडीसी,	45088637 45088638	09868857465	-	nhfdc97@gmail. com

uke vkj inuke Jherh@Jh@lqJh	VyhQksu ¼dk;kZy;½	VyhQksu ¼fu-@eksckby½	dejk la[;k	bZ&esy irk
श्री एस.के श्रीवास्तव सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिशद	26532387	-	-	msrci-msje@nic.in
सुश्री स्मिता जयवंत निदेशक, पीडीयूआईपीएच	23239690	-	-	www.iphdelhi.in
डा. एस.पी.दास उप–निदेशक एसवीएनआईआरटीएआर	0671- 2805552 2805856	9868223551	-	nirtar@ori.nic.in
डा. ए.के. बिश्वास निदेशक, एनआईएलडी	033- 25311248 25310789		-	mail@nioh.in/ director@nioh.in
श्रीमती. अनुराधा डालमिया एनआईवीएच, देहरादून	0135- 2744491		-	anuradhamohit@ gmail.com
डा. ए.के.सिन्हा निदेशक एवाईजेएनआईएसएचडी	022- 26422638		-	ayjnihhmum@ gmail.com
डा.हिमांगशु दास, निदेशक एनआईईपीआईडी	040- 27751741- 45	9711121002	-	director.nimh@ gmail.com
डा.हिमांगशु दास, निदेशक एनआईईपीआईडी	044- 27472113		-	niepmd@gmail. com

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार,
5वां तल, ब्लॉक बी–I, बी.II और बी .III,
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ.कंपलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003.
वैबसाइट : www.socialjustice.nic.in